पेसा कानून : संविधान के रास्ते गाँव स्वराज

राजस्थान के सन्दर्भ में :

पेसा कानून और गाँव सभा की भूमिका

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) | आस्था संस्थान

PESA_Book_LET_20.indd 1 21/03/20 9:17 am

PESA_Book_LET_20.indd 2 21/03/20 9:17 am

पेसा कानून : संविधान के रास्ते गाँव स्वराज

राजस्थान के सन्दर्भ में :

पेसा कानून और गाँव सभा की भूमिका

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) | आस्था संस्थान

सीमित वितरण हेतु जनहित में

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) की ओर से तैयार,
आस्था संस्थान उदयपुर के लिए प्रकाशित
ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016
फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940
Email: peaceactdelhi@gmail.com
Web: https://populareducation.in/

मार्च, 2020

भूमिका

भारत में चल रही आधुनिक विकास की परिकल्पना ने अगर किसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वह इस देश का आदिवासी समुदाय है। अपने जल-जंगल-जमीन से लगातार बेदखली ने आदिवासियों के जीवन के संकट को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय व अत्याचार से बढ़ते जन असंतोष और सरकार पर बन रहे दबाव के चलते संसद ने दिसंबर 1996 में **पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)** पारित किया और जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं अपवाद के साथ भाग को पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया। ये वे अपवाद एवं परिवर्तन हैं जो कानून की धारा 4 में उल्लेखित हैं, जो इस कानून को जनजातियों के लिए विशिष्टता प्रदान करते हुए उन्हें भिन्न प्रकार के अधिकार एवं विशेषाधिकार देता है।

इस पुस्तिका में पेसा कानून के तहत मिले विभिन्न अधिकारों में एक अधिकार पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले सभी गाँव की पंरपरागत गाँव सभा को अपने गाँव विकास की योजना बनाने तथा लागू करवाने का अधिकार है। पेसा कानून में मिले अधिकारों के तहत इस पुस्तिका में राजस्थान सरकार के नियमों के तहत गाँव सभा की कार्यवाही की निर्देशिका भी शामिल है।

यह पुस्तिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999, नियम 2011 पर आधारित है। केंद्र सरकार ने पेसा कानून 1996 बनाने के बाद सभी राज्यों को यह निर्देश दिया कि इस कानून को लागू करने के लिए सभी राज्य अपने नियम बनाएं। राजस्थान सरकार ने एक दशक बाद 2011 में नियम बनाए जो मूल पेसा कानून की भावनाओं के अनुरूप नहीं हैं।

PESA_Book_LET_20.indd 5 21/03/20 9:17 am

आदिवासी स्वशासन क्या है ?

भारत के 20 प्रतिशत भूभाग पर 600 से अधिक आदिवासी जनजातियां रहती हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। इन आदिवासियों का हमेशा से अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार रहा है। जब अंग्रेजों ने भारत में आकर इनके जल-जंगल-जमीन को लूटने की कोशिश की लेकिन आदिवासियों ने यह होने नहीं दिया। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के आगे जब आदिवासी समुदाय के लोग नहीं झुके तब थकहार कर 1878 में ब्रिटिश शासकों ने आदिवासी क्षेत्रों में 'The Schedule District Act' पारित किया और वहां अलग प्रशासनिक व्यवस्था प्रारम्भ कर, अन्य क्षेत्रों पर लगे कानून से इन क्षेत्रों को मुक्त कर दिया। जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान तैयार हुआ तो 1935 में बने 'भारत सरकार अधिनियम' के 'अध्याय 05' के '10वें भाग' को इस में रखा गया और 'अनुच्छेद 244' में यह प्रावधान किया गया कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र है उन्हें 'पाँचवीं' और 'छठी अनुसूची' में बांट दिया जाए।

'पांचवीं अनुसूची' में कुछ 'पॉकेट्स' अलग-अलग राज्यों में थे जहाँ आदिवासी समुदाय रहते थे। उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और उन क्षेत्रों को 'पांचवीं अनुसूची' में शामिल कर दिया गया। इन्हें 'शेड्यूल एरिया' कहा गया। इन क्षेत्रों के लिए यह तय किया गया कि यहां पर बाकी देश में लागू होने वाली प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चलेगी। इन क्षेत्रों में आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार दिया गया।

आदिवासी स्वशासन के मायने, ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें आदिवासियों के रीति-रिवाजों, परम्पराओं और जीवन-शैली को कायम रखते हुए सत्ता और विकास के अधिकार उनके हाथ में रहें। आदिवासी स्वशासन का यह अधिकार पेसा कानून 1996 के तहत दिया गया। पेसा कानून 1996 में बन तो गया, लेकिन इसे लागू करने के मामले में सरकारें उदासीन रही। आदिवासी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया, जिससे सत्ता में तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गयी, लेकिन उनके स्वशासन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

आदिवासी स्वशासन को मान्यता देता पेसा कानून

आदिवासियों के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची बनाई गई क्योंकि आदिवासी इलाके आज़ादी के पहले भी स्वतंत्र थे। वहां, अंग्रेज़ों का शासन-प्रशासन नहीं था। तब इन इलाकों को बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत की श्रेणी में रखा गया। 1947 में आज़ादी के बाद जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो इन क्षेत्रों को 5वीं और छठी अनुसूची में वर्गीकृत किया गया।

PESA_Book_LET_20.indd 6 21/03/20 9:17 am

जो पूर्णत: बहिष्कृत क्षेत्र थे उन्हें छठी अनुसूची में डाला गया। जिसमें पूर्वोत्तर के चार राज्य हैं- त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिज़ोरम। और जो आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र थे, अंग्रेजों ने वहां भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हीं क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में डाला गया। इसमें दस राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।

संविधान में 5वीं अनुसूची के निर्माण के समय तीन बातें स्पष्ट तौर पर कही गईं- सुरक्षा, संरक्षण और विकास।

मतलब कि आदिवासियों को सुरक्षा तो देंगे ही, उनकी क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण और विकास भी किया जाएगा, जिसमें उनकी बोली, भाषा, रीति-रिवाज़ और परंपराएं शामिल हैं।

5वीं अनुसूची में शासन और प्रशासन पर नियंत्रण की बात भी कही गई है। ऐसी व्यवस्था है कि इन क्षेत्रों का शासन-प्रशासन आदिवासियों के साथ मिलकर चलेगा।

मतलब इन क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में एक तरह से विशेषाधिकार मिले, स्वशासन की व्यवस्था की गई। जिसके तहत इन क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र के आम क़ानून लागू नहीं होते। स्वशासन के लिए संविधान में गाँव सभा को मान्यता दी गई है।

जैसे कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग परंपराएं हैं। मध्य प्रदेश में पटेल, झारखंड में मुंडा, मानकीय और पहान और राजस्थान में गमेती, ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं।

इन प्राचीन कबीलाई व्यवस्थाओं में एक ढांचा था, कबीले का सरदार होता था, आपसी झगड़ों का निपटारा वे गांव में ही कर लेते थे। पुलिस थाना व्यवस्था तब नहीं होती थी।

5वीं अनुसूची में इसी व्यवस्था को गाँव सभा के रूप में मान्यता दी और गाँव सभा को ही ज़मीन बेचने और सरकारी अधिग्रहण संबंधी अधिकार दिए। अपनी भाषा, संस्कृति, पहनावा, रीति-रिवाज़ और बाज़ार की व्यवस्था तय करने का अधिकार मिला कि बाज़ार में क्या बिके, क्या न बिके? गांव चाहता है कि शराब न बिके तो नहीं बिकेगी।

फिर 1996 में 5वीं अनुसूची के परिदृश्य में पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) क़ानून बना। 5वीं अनुसूची में गाँव सभा पारिभाषित नहीं थी, अब 9 बिंदुओं में पारिभाषित कर दिया गया।

दूसरा, गाँव सभा के साथ-साथ पंचायती राज व्यवस्था को भी जोड़ा गया। दोनों को गांव के विकास की ज़िम्मेदारी मिली। **ये गांव की प्रशासनिक व्यवस्था हुई। ज़िले की प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए ज़िला स्वशासी परिषद (डीएसी) को मान्यता दी।**

PESA_Book_LET_20.indd 7 21/03/20 9:17 am

समस्या यहीं से है कि डीएसी की बॉडी और नियमावली अब तक किसी राज्य ने नहीं बनाई कि उसमें कितने सदस्य हों, उनके काम क्या हों।

यह परिषद स्वायत्त है, मतलब कि इसके पास वित्त का भी प्रबंधन हो। संविधान के अनुच्छेद 275 में ट्राइबल सब-प्लान (टीएसपी) की व्यवस्था है, इसके तहत ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से बजट आवंटन होता है जिसका प्रयोग आदिवासियों के कल्याण और उनकी आर्थिक व सामाजिक बेहतरी के लिए होता है। ज़िला स्वशासी परिषद पैसा किस तहसील में, किस ब्लॉक में ख़र्च हो, यह तय करती है।

5वीं अनुसूची लागू तो है लेकिन उसके अनुपालन पर सवाल है। 5वीं अनुसूची के अलग-अलग प्रावधान हैं जैसे कि पेसा क़ानून के लिए अधिसूचना चाहिए या गाँव सभा के बारे में राज्यपाल की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अधिसूचना जारी करे कि इस सूची के इस ज़ोन में ये अधिकार हैं।

जैसे कि **अनुसूची में उल्लेखित है कि इन अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य क़ानून लागू नहीं हो सकते या लागू हो भी सकते हैं। दोनों बाते हैं और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। परस्थितियां क्या होंगी? यह नोटिस राज्यपाल को जारी करना होता है।**

ऐसे में सामान्य क्षेत्रों की ही तरह इन क्षेत्रों को चलाया जा रहा है। जो योजनाएं अन्य क्षेत्रों में चल रही हैं, वही यहां हैं। लेकिन वास्तव में यहां के लिए विशेष योजना हो, जिन पर अलग से विचार हो। बिना किसी अधिसूचना जारी किए कैसे सामान्य क्षेत्रों की तरह व्यवहार हो रहा है। टीएसी, गाँव सभा, डीएसी से सलाह ली जाए जो संवैधानिक बॉडी हैं।

भले ही राजस्थान सरकार ने पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने सम्बन्धी उपान्तरण) अधिनियम, 1999 तथा पेसा नियम नवम्बर, 2011 से राज्य में लागू कर दिया हो, लेकिन कमोबेश पेसा कानून की स्थिति अन्य राज्यों जैसी ही है।

1996 में केंद्र सरकार द्वारा पेसा कानून बनाए जाने के बाद प्रत्येक राज्य को यह निर्देश दिया गया कि अपने-अपने राज्यों में पेसा कानून को लागू करने के लिए नियम बनाएं और उसे लागू करें। महज 4 राज्यों ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इससे संबंधित रूल्स बनाएं। **राजस्थान सरकार ने भी 15 वर्ष बाद 2011 में नियम बनाया और उस नियम में भी केंद्र द्वारा मिले अधिकारों में काफी फेरबदल कर दिया। इस फेरबदल के कारण मूल पेसा के अधिकारों में कटौती कर दी गई। पेसा कानून बनने के बाद सभी राज्यों की यह जिम्मेदारी थी कि पेसा कानून को गाँव स्तर पर लागू कराएं लेकिन अभी तक किसी राज्य सरकार ने इसे लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है।** सरकार और प्रशासन द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करने के कारण कुछ सामाजिक संगठन,

PESA_Book_LET_20.indd 8 21/03/20 9:17 am

स्वयंसेवी संस्थायें, आदिवासी समाज के कुछ जागरूक लोग आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून लागू करने की दिशा में प्रयास कर रहे है, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलने तथा आदिवासी समाज में अशिक्षा और राजनीतिक उदासीनता के कारण जमीनी स्तर पर पेसा कानून का क्रियान्वयन एक चुनौती है। **पेसा कानून को 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों की गाँव सभाएं सामान्य ग्राम सभाओं की तरह ही कार्य कर रही हैं।**

पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के क्षेत्राधिकार को सीमित किया गया है और राज्यपाल को व्यापक अधिकार दिए गए है। पांचवीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि राज्यपाल यदि चाहे तो सामान्य अधिसूचना जारी करके संसद या विधानसभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के बारे में यह निर्देश दे सकते हैं कि वह सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में या उसके किसी हिस्से में लागू नहीं होगा या जरूरी फेरबदल के साथ लागू होगा। **राज्यपाल द्वारा इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हर साल एक रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति को भेजने का नियम है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है कि किसी भी राज्य में जहां पेसा कानून लागू है, वहां राज्यपाल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदिवासियों की समस्याओं के निवारण के लिए ऐसा कुछ किया हो।** हालांकि धारा 3 के अनुसार पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम (पेसा) कानून को दिनांक 24 दिसम्बर, 1996 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद से सर्वोपरि है तथा अन्य राज्य कानून निष्प्रभावी हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सत्ताधारी पार्टियों द्वारा होने के कारण राज्यपाल भी उन्हीं के निर्देश के अनुसार ही उनके राजनीतिक हित साधने का प्रयास करते हैं।

पेसा कानून में गाँव की परिभाषा

मूल पेसा कानून में ढाणी, टोला या फले को उनका गाँव माना गया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने फले को गाँव नहीं माना, राजस्व गाँव को ही गाँव माना है। इसके कारण गाँव सभा को आपसी सहमति बनाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासियों का निवास सामान्यत: पहाड़ी क्षेत्रों में है। उनकी आबादी काफी विरल है। घर दूर-दूर बने हुए हैं। राजस्व गाँव कई किलोमीटर में फैला होने के कारण उनका एक साथ गाँव सभा की बैठक में शामिल हो पाना असंभव नहीं तो काफी कठिन जरूर है। उनके फले, उपजातियों के अनुसार बसे हुए हैं। एक राजस्व गाँव में कई फले होने से कई उपजातियों के लोग रहते हैं। ऐसी स्तिथि में किसी भी मामले पर गाँव सभा को एकमत कर पाना काफी कठिन है। साथ ही साथ विवाद की स्तिथि में तो एक फले के लोग दूसरे फले के साथ बैठ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार की नीयत पर ही संदेह होता है।

मूल पेसा कानून नियम 2 (1) के अनुसार गाँव के जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो गई है।

PESA_Book_LET_20.indd 9 21/03/20 9:17 am

वह गाँव सभा के सदस्य होंगे, उनका नाम मतदाता सूची में भले ही ना हो। लेकिन राजस्थान सरकार के नियम (3) के अनुसार गाँव के मतदाता ही गाँव सभा के सदस्य होंगे। इससे जो खतरा उठता है वह यह कि गाँव के ईमानदार और तेजतर्रार लोग जो गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं उन लोगों का मतदाता सूची से नाम कटवा कर उनकी गाँव सभा की सदस्यता को ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनकी गाँव सभा के संचालन और निर्णय लेने में कोई भी भूमिका नहीं होगी। जिससे पंचायत को अपनी मनमानी करने का मौका मिलेगा।

पेसा कानून में गाँव सभा सर्वोपरि

गाँव के सभी मतदाता (महिला/पुरुष) गाँव सभा के सदस्य होते हैं। गाँव के मतदाताओं द्वारा जब गाँव सभा के गठन हो जाने की घोषणा की जाती है, तब कुछ जरूरी जानकारी गाँव सभा के लोगों को होनी चाहिए, जिससे गाँव सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, क्योंकि गाँव सभा की कार्यवाही कानूनी रूप से मान्य हैं।

1. **गाँव सभा सचिव** - ग्राम पंचायत का सचिव गाँव सभा का सचिव होगा। वह बैठक की सारी कार्यवाही रजिस्टर में लिखेगा।

2. **गाँव सभा की बैठक** - गाँव सभा की साधारण बैठक वर्ष में चार-बार आयोजित की जायेगी। गाँव सभा की कार्यवाही जनता के बीच संचालित की जायेगी। गाँव सभा का निर्णय सर्वसम्मति से होगा। यदि कोई निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो सका तो ऐसे विवाद पर एक सप्ताह बाद या अगली बैठक, जैसा तय हो, में चर्चा की जायेगी। यदि दूसरी बैठक में भी सर्वसम्मति नहीं हो पाती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। कोरम के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा। सचिव कार्यवाही के सही लेखन का जिम्मेदार होगा। बैठक की समाप्ति पर कार्यवाही पढ़कर सुनाई जायेगी और बैठक में उपस्थित गाँव सभा सदस्यों द्वारा अनुमोदन और हस्ताक्षर किया जायेगा। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जायेगी।

3. **कोरम** - गाँव सभा कि किसी भी बैठक के लिए गाँव सभा के मतदाताओं का 10वां भाग अनिवार्य होगा।

4. **गाँव सभा की अध्यक्षता** - गाँव सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच या उपसरपंच द्वारा की जायेगी। उनकी अनुपस्थिति में गाँव-सभा, गाँव के किसी भी व्यक्ति को बहुमत से उस बैठक का अध्यक्ष चुन कर बैठक सम्पन्न करेगी।

5. **गाँव सभा की बैठक की तारीख व समय** - सरपंच या सचिव गाँव सभा की बैठक

PESA_Book_LET_20.indd 10 21/03/20 9:17 am

बुलाएंगे। बैठक के दिन, समय और एजेण्डे की सूचना सबको दी जायेगी। हर तीसरे महीने में कम से कम एक बैठक अनिवार्य होगी।

6. **गाँव सभा की विशेष बैठक** - यदि साधारण बैठक में गाँव सभा आयोजित करना तय किया गया है या कोई ऐसा प्रस्ताव जिस पर गाँव सभा द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हो। तब गाँव सभा के कुल सदस्यों का 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों द्वारा सचिव को लिखित दी गयी सूचना के आधार पर बैठक होगी। विशेष बैठक में लिए निर्णय को अगली बैठक के अलावा कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी। गाँव सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

7. **गाँव सभाओं की संयुक्त बैठक** - सामुदायिक स्रोतों के प्रबन्धन, सड़क निर्माण जैसे मामलों में जिसमें अन्य गाँव सभाओं को शामिल करना जरूरी हो वहॉ ग्राम पंचायत की समस्त गाँव सभाओं की बैठक संचालित की जा सकती है। संयुक्त बैठक में गाँव सभा के 5 प्रतिशत या 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक की अगली तारीख उसी दिन तय की जायेगी। गाँव सभा की संयुक्त बैठक ऐसे मुद्दों पर आयोजित की जा सकेगी जो कि पूरी पंचायत को प्रभावित कर रहा हो।

8. **महिलाओं की भागीदारी** - गाँव सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के विचार गाँव सभा के विचार माने जाएंगे और उन विचारों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। गाँव सभा में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

9. **गाँव सभा की कार्यवाही लिखना** - गाँव सभा की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव या नियुक्त कर्मचारी द्वारा लिखी जायेगी। गाँव सभा द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव को लिखित में पंजीबद्ध करना होगा। बैठक की समाप्ति एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने से पहले पारित प्रस्ताव व निर्णय को पढ़ कर सुनाया जाना अनिवार्य है। सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना व पारित प्रस्तावों के अनुसार सम्बंधित विभागों को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट लिखना भी सचिव की जिम्मेदारी है।

10. **गाँव सभा के आवश्यक दस्तावेज** - गाँव सभा की कार्यवाहियों के लिए लिखित रूप से अभिलेखों को रखने की आवश्यकता है, जिससें आवश्यकता पड़ने पर समस्त दस्तावेज उपलब्ध हो सके, जिससे गाँव सभा की किसी भी कार्यवाही पर कोई असर न पड़े। **गाँव सभा के आवश्यक दस्तावेज** -

- गाँव सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजीकरण रजिस्टर।
- गाँव सभा बैठक कार्यवाही रजिस्टर।
- पत्रावली फाईल।

PESA_Book_LET_20.indd 11 21/03/20 9:17 am

- शांति समिति का रजिस्टर।
- आपसी विवाद निपटारा कार्यवाही रजिस्टर।
- परम्परागत कानून व नियमों का रजिस्टर।
- पक्षकारों के सम्मन की फाईल
- विवाद प्रकरण पत्रावली फाइल।
- विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के खर्च विवरण रजिस्टर।
- रसीद बुक।
- गाँव सभा का लेटर हेड। अधिकृत गाँव सभा की मुहर। (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष)
- बीपीएल सूची रजिस्टर।
- संसाधनों का रजिस्टर।
- गाँव सीमांकन नक्शा।
- रोकड़ बही-खाता।

पेसा कानून के तहत गाँव सभा की कमेटियां

1. शांति समिति - शांति समिति में 20 सदस्य होंगे। जिसमें कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएँ और न्यून्तम 50 प्रतिशत अनुसूचित जन - जाति के सदस्य होंगे। शांति समिति आस-पास के गांवों से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखेगी। शांति समिति उन घटनाओं की जांच कर सकती है, जिससे गाँव की शांति भंग होती है, उसकी रिपोर्टिंग गाँव सभा को करेगी। शांति भंग करने वाले को परार्मश देना तथा मध्यस्थता करना, जहां आवश्यक हो तुरन्त कार्यवाही करना और गाँव सभा को रिपोर्ट करना। गाँव सभा के अनुमोदन से कार्यवाही के लिए प्रखण्ड़ मजिस्ट्रेट से अनुरोध करना।

अन्ध विश्वास, भूत सिद्धी और जादू टोने सम्बन्धी मामले पर विचार, दो लगातार बैठक करके की जायेगी। जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना विचार रख सके। जिलाधिकारी से ऐसे मामले में अनुरोध करके किसी प्रेक्षक को बुला सकते हैं। प्रत्येक ऐसे मामले में तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी गाँव -सभा को प्रेक्षक द्वारा दी जायेगी।

आपसी विवाद सुलझाने की प्रक्रिया - किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए शांति समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी परम्परा के अनुसार कार्यवाही करेगी। विवाद की सुनवाई जनता के बीच होगी। सम्बन्धित व्यक्तियों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जायेगा। विचार सुनने के बाद शांति समिति निष्कर्ष देगी, उस पर प्रत्येक गाँव सभा सदस्य अपने विचार रख सकता है। शांति समिति अपने निष्कर्षों को गाँव सभा में रखेगी, उसे सर्व सम्मत या बहुमत से स्वीकार किया जायेगा। अगर बहुमत नहीं मिला तो शांति समिति गाँव सभा की अगली बैठक में मामले को रखेगी और गाँव सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

PESA_Book_LET_20.indd 12 21/03/20 9:17 am

यदि गाँव सभा के किसी निर्णय से प्रभावित कोई व्यक्ति या समूह यह महसूस करता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है और वह पुलिस थानें में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराता है, तब संबंधित पुलिस अधिकारी निर्णय के सम्बन्ध में गाँव सभा या शांति समिति से सर्म्पक करेगा।

पुलिस की भूमिका - यदि स्थानीय पुलिस को किसी गाँव सभा में शांति भंग होने की जानकारी मिलती है तो केवल उन मामलों में जिसमें तत्काल कार्यवाही अनिवार्य हो, सम्बन्धित पुलिस गाँव सभा या शांति समिति को मामले की पूरी रिपोर्ट पेश करेगा। ऐसे मामले के समाधान के लिए केवल गाँव सभा के साथ परामर्श से ही निर्णय लिए जायेंगे। यदि पुलिस को किसी अपराध के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है तो केवल गम्भीर अपराध (जिसमें दो या दो वर्ष से अधिक की सजा निर्धारित हो) की दशा में जहाँ पुलिस कार्यवाही जरूरी हो, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एक प्रति गाँव सभा या शांति समिति को भेजी जायेगी। यदि आवश्यक हो तो गाँव सभा की विशेष बैठक में या आगामी बैठक में मामले को सुलझाने की कोशिश की जायेगी।

2. वन अधिकार समिति– पेसा कानून गाँव सभा को सक्षम मानता है कि गाँव सभा स्वयं संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन कर सकती है। लेकिन यह कैसे करना है? इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वनाधिकार अधिनियम 2006 में यह स्पष्ट किया गया है कि वनों का संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन और उपभोग कौन करेगा? कैसे करेगा और किसकी क्या जिम्मेदारी है? अनुसूचित जनजाति और अन्य पम्परागत वन निवासी, वनाधिकार अधिनियम 2006 व नियम 2008 की धारा 3 (1) के तहत राजस्व गाँव में गाँव सभा वन अधिकार दावों को लेने के लिए एक वनाधिकार समिति का गठन करेगी, जिसमें कम से कम 10 सदस्य किन्तु 15 से अधिक सदस्य नहीं होगे। इस समिति में दो तिहाई अनुसूचित जन जातियों के सदस्य अनिवार्य होंगे। इसमें अध्यक्ष और सचिव का पद होगा। जहां कोई अनुसूचित जन जाति सदस्य नहीं है, वहां एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। वनाधिकार समिति अपनी सभी कार्यवाही का विवरण गाँव सभा में प्रस्तुत करेगी और गाँव सभा का फैसला अंतिम माना जाएगा।

वनाधिकार समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य –

1. वनाधिकार समिति व्यक्तिगत दावेदार से दावा फार्म लेकर दावेदार को समिति का अध्यक्ष या सचिव उसे रसीद जारी करेगा।
2. वनाधिकार समिति दावेदार की काबिज भूमि का मुआयना करेगी और दावे के स्वरूप तथा साक्ष्य का सत्यापन करेगी।

PESA_Book_LET_20.indd 13 21/03/20 9:17 am

3. वनाधिकार समिति दावेदार के कब्जे की भूमि का सीमांकन और नक्शा तैयार करेगी।

4. वनाधिकार समिति दावे के निष्कर्षों को लिखित रूप से गाँव सभा में प्रस्तुत करेगी।

5. वनाधिकार समिति व्यक्तिगत दावे के साथ गाँव की सीमा में पड़ने वाले जंगल का सामुदायिक दावा भी प्राप्त करेगी और गाँव सभा में प्रस्तुत करेगी।

6. वनाधिकार समिति को सामुदायिक दावों में दूसरे गाँवों की सीमाओं पर सहमति प्रस्ताव लेने होंगे। सहमति नहीं होने पर वनाधिकार समिति उसे गाँव सभा में रखेगी और आपसी समझौता न होने पर इस विवाद को उपखण्ड़ स्तर की समिति के पास भेजेगी।

समिति वन्य जीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण क्षेत्र, जलस्रोत परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जन-जाति और अन्य वन निवासियों का निवास आपदा ग्रस्त स्थिति में न हो और सामुदायिक संसाधनों तक लोगों की पहुँच तथा वन्य जीव, वन जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव के क्रिया कलाप को रोकना आदि के लिए अलग-अलग समितियों का गठन करेगी।

3. स्कूल प्रबन्धन समिति– गाँव सभा को सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए अधिकृत किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आंगनबाड़ी, राशन की दुकान, सामाजिक सुरक्षा योजना एवं उनके कर्मचारियों पर गाँव सभा निगरानी रखेगी। धारा 3 (ट) (vi) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इसके सदस्य छात्रों के माता-पिता, स्कूल के समस्त अध्यापक, क्षेत्र का वार्डपंच होंगे। यह सब लोग मिल कर एक कार्यकारी समिति का गठन करेगें, जिसमें विधालय का प्रधानाध्यापक, एक अध्यापक (महिला अध्यापक को प्राथमिकता), वार्डपंच, अभिभावक में से एक सदस्य एवं एक मनोनीत शिक्षाविद होंगे। कार्यकारी समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, विधालय का प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होगा। कार्यकारी समिति प्रत्येक माह एक बैठक करेगी, जिसमें 1/3 सदस्यों को उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4. सर्तकता समिति– पेसा कानून में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। गाँव में राशन वितरण उचित मूल्य तथा गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए सर्तकता समिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य

PESA_Book_LET_20.indd 14 21/03/20 9:17 am

सरपंच (अध्यक्ष) उपभोक्ता (एक सदस्य) विधालय का प्रधानाध्यापक या अध्यापक (एक सदस्य), उपभोक्ता या सामाजिक संगठन कार्यकर्ता (एक सदस्य), स्थानीय सेवानिवृत्त कर्मचारी (एक सदस्य), वार्ड पंच (एक सदस्य)। उपभोक्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पंच का मनोनय उप-खण्ड़ अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस समिति का कार्य- राशन वितरण समय पर और सुचारू रूप से करवाना, राशन की दुकान पर निगरानी रखना, राशन उचित मूल्य पर, उचित मात्रा और गुणवत्ता पूर्ण हो इसका प्रमाणीकरण करना।

पेसा कानून के तहत गाँव सभा के गठन की प्रक्रिया

राजस्थान पेसा अधिनियम 1999 के अनुरूप कार्य करने के लिए कुछ आवश्यक शुरूआती कदम उठाने होगें, मुख्य बिन्दु जो आवश्यक हैं -

1. अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज को जानकारी देने के लिए राजस्व गाँव स्तर पर सभी फले के लोगों को इकट्ठा करके राजस्थान पेसा अधिनियम 1999 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

2. अपने क्षेत्र के एसडीएम, पंचायती राज विभाग से गाँव की वोटर लिस्ट की मांग की जाये।

3. राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग से गाँव सभा के गठन के लिए कार्यक्रम जारी करने के लिए प्रयास करना।

4. पेसा नियमों के अनुसार राजस्व गाँव के सभी वोटर (मतदाता) उस गाँव सभा के सदस्य होगें। यदि राज्य सरकार गाँव सभा के गठन का प्रयास नहीं कर रही है, तब राजस्व गाँव के 5 प्रतिशत सदस्य मिलकर पंचायत के सरपंच से गाँव सभा की बैठक बुलाने के लिए मांग पत्र दें तथा मांग पत्र की एक प्रति विकास अधिकारी को दें।

5. सरपंच या पंचायत सचिव अगर एक सप्ताह में बैठक नहीं बुलाते हैं तब मांग करने वाले 5 प्रतिशत सदस्यों में से कोई तीन सदस्य सरपंच को सूचित कर, उनको नोटिस देकर बैठक आयोजित करें। नोटिस की एक कॉपी विकास अधिकारी को भी दे तथा उनसे आग्रह करें कि गाँव सभा की बैठक में नामित सदस्य को भेजने की व्यवस्था करें। गाँव सभा की बैठक का एजेण्डा भी साथ में दे।

6. गाँव सभा की बैठक में गाँव के कुल सदस्यों (मतदाताओं) का 10 प्रतिशत के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति एंव महिलाओं की भी 10 प्रतिशत उपस्थित

PESA_Book_LET_20.indd 15 21/03/20 9:17 am

होने पर सरपंच या उपसरपंच की अनुपस्थिति में गाँव सभा में उपस्थित ग्रामीणों में से आम सहमति से अध्यक्ष का चयन करें, इसके बाद गाँव सभा की कार्यवाही शुरू करें।

7. गाँव गणराज्य घोषणा एवं शिलालेख गाँव सभा में उपस्थित सदस्यों की आम सहमति से पेसा अधिनियम का संकल्प पारित करे।

   संकल्प

   जिला.....तहसील.....ग्राम पंचायत.....के राजस्व गाँव.....की आयोजित गाँव सभा दिनांक.....को संपन्न हुई। राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपन्तरण) अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 में किये गये प्रावधानों के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की गाँव सभाओं/पंचायतों को इन नियमों में उल्लेखित नियमों के सम्बन्ध में प्रदत्त विशिष्ट शाक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में कार्य सम्पादित किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित करते है।

8. गाँव सभा द्वारा पारित संकल्प की सूचना फोटो प्रति के साथ सम्बन्धित पंचायत, विकास अधिकारी, जनजाति विकास आयुक्त एंव सचिव पंचायती राज को देनी होगी। जिससे उन्हें मालूम हो सके कि उक्त गाँव सभा ने पेसा प्रदत्व शक्तियों पर काम करने के लिए गाँव गणराज्य की घोषणा कर दी है।

गाँव सभा द्वारा पारित संकल्प की सूचना उपरोक्त अधिकारियों को देने के बाद गाँव सभा की औपचारिक बैठक कर के उस बैठक में गाँव गणराज्य की स्थापना, सामुदायिक संपदा का आदिवासी परंपरा के अनुसार संरक्षण और परिक्षण, शांति समिति के गठन और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम के नियंत्रण का प्रस्ताव पारित करके, पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि राज्यपाल, जिलाधिकारी, जिला वन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप-जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सम्बंधित थाना और ग्राम पंचायत में भेजी जाएगी। उपरोक्त प्रस्ताव पारित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगी-

1. गाँव सभा की प्रथम बैठक के पश्चात गाँव सभा की औपचारिक बैठक का आयोजन सरपंच की अध्यक्षता में की जाये। जिसमें सचिव द्वारा पेसा कानूनों की पूरी जानकारी लोगों को दी जाये। शांति समिति का गठन और पेसा कानून से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करके विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति से निर्णय करें। गाँव सभा की बैठक की सूचना, बैठक की कार्यवाही की फोटोप्रति के साथ संबंधित अधिकारियों एवं पंचायत राज विभाग को भेजें।

PESA_Book_LET_20.indd 16 21/03/20 9:17 am

गाँव गणराज्य की घोषणा और संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने के बाद गाँव के सभी मतदाताओं को सूचित कर के गाँव सभा की प्रथम बैठक सरपंच की अध्यक्षता में की जाएगी जिसमें पेसा कानून की चर्चा और शांति समिति का गठन करने के लिए आगामी बैठक करने का आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा। शांति समिति के गठन के लिए होने वाली बैठक खंड विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामित सदस्य की उपस्थिति में की जाएगी। शांति समिति की बैठक की सूचना खंड विकास अधिकारी, सरपंच और सचिव को 7 दिन पहले दी जाएगी **(देखें- परिशिष्ट I)**। शांति समिति के चुने गए अध्यक्ष, सचिव सहित सभी 20 सदस्यों की सूची और गाँव सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की फोटोकॉपी राज्यपाल, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेजी जाएगी।

2. आगामी गाँव सभा की बैठक में शांति समिति का गठन विकास अधिकारी के नामित सदस्य की उपस्थिति में की जाये। शांति समिति से चुने गये अध्यक्ष एवं सचिव सहित सभी 20 सदस्यों की सूचना एवं गाँव सभा से प्रारित प्रस्ताव की कॉपी को राज्यपाल, जिलाधिकारी, पुलिस अधिक्षक, विकास अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी को भेजी जाये **(देखें- परिशिष्ट II)**। उसके बाद शान्ति समिति अपना कार्य प्रारम्भ करे।

3. गाँव सभा पुलिस विभाग के अधिकारियों से 2 साल की सजा वाले अपराधों के प्रकार तथा सम्बन्धित नियमों, धाराओं की सूची उपलब्ध कराये जाने के लिए आग्रह पत्र भेजे **(देखें- परिशिष्ट III)**।

4. साथ ही सभी शान्ति समिति के सदस्यों तथा अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु आयुक्त जनजाति विकास विभाग को पत्र लिखे एवं पत्र की प्रति पंचायती राज विभाग, जयपुर को भेजे।

आदिवासियों के अधिकारों के लिए भारत सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 पारित किया। दिनांक 24/12/1996 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (जिसमें 10 राज्य शामिल हैं) में अन्य राज्य कानून निष्प्रभावी हो गए और राज्यपाल को व्यापक अधिकार दिए गए। संसद या विधानसभा द्वारा पारित कोई भी अधिसूचना पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में राज्यपाल की अनुमति के बगैर लागू नहीं हो सकता।

पेसा कानून में गाँव सभा को दिये गए अधिकार-

1.शराब पर नियंत्रण– गाँव सभा समाज में शराब पीने से होने वाली आपसी बुराइयों से निपटने के लिए गाँव के लोगों के शराब पीने, गाँव में लोगों द्वारा शराब बनाने और गाँव में

PESA_Book_LET_20.indd 17 21/03/20 9:17 am

शराब बिक्री पर नियंत्रण कर सकती है। गाँव सभा के दो तिहाई मतदाता शराब बंदी के पक्ष में मतदान करके, शराब की दुकान बंद करवा सकते हैं।

शराब बंदी की प्रक्रिया–

1. राजस्थान आबकारी नियम 2002 के अनुसार गाँव सभा की बैठक करके, एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करके, इसकी एक प्रति जिलाधिकारी और आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर को भेजनी होगी।

2. जिलाधिकारी, तहसीलदार रैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी या किसी समुचित अधिकारी को संकल्प पत्र की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए नियुक्त करेंगे।

3. अधिकारी जो अपनी रिर्पोट जिलाधिकारी को देगा उसे अपनी टिप्पणी के साथ जिलाधिकारी आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को भेजेंगे।

4. आबकारी आयुक्त गाँव सभा में संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा और गाँव सभा को जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित करेंगे।

गाँव सभा विशेष अवसरों जैसे नामकरण संस्कार, सगाई, विवाह, विवाद निपटारा के दौरान, मृत्युभोज, होली, दीपावली और आदिवासी जनजाति समुदाय की परम्पराओं और रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अन्य सामाजिक अवसरों पर गाँव सभा के निवासियों द्वारा देशी शराब के कब्जे व सीमायें निर्धारित करने के लिए सक्षम होगी।

गाँव सभा समाज में शराब पीने से होने वाली बुराईयों को खत्म करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, नशे की अवस्था में महिलाओं से दुर्व्यवहार, झगड़ा करने, पत्नियों को पीटने वाले व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगा सकती है। शराब बिक्री का स्थान बदल सकती है या शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा सकती है।

शराब बंदी के लिए गाँव सभा बैठक करने की प्रक्रिया : गाँव सभा अपने गाँव में लोगों को शराब पीने, घर में शराब रखने पर प्रतिबन्ध और गाँव में शराब की दुकान बंद कराने के लिए गाँव के सभी मतदाताओं को सूचित करने के बाद नियत समय पर बैठक कर के एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर के इसकी एक प्रति जिलधिकारी और एक प्रति आबकारी आयुक्त को भेजनी होगी। आबकारी आयुक्त गाँव सभा में संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। (**शराब नियंत्रण के लिए सूचना व प्रस्ताव का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट IV**)।

PESA_Book_LET_20.indd 18 21/03/20 9:17 am

2. जमीन की रक्षा– गाँव सभा यह सुनिश्चित कर सकती है कि अनुसूचित जनजातियों की जमीन गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जायेगी। गाँव सभा सार्वजनिक जमीन के गैर-कानूनी कब्जों को रोक सकती है और गैर कानूनी ढंग से कब्जा की गयी जमीन को गाँव सभा वापस ले सकती है।

किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण अथवा जबरन बेदखली के मामले में गाँव सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक मजबूत गाँव सभा अपने प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन और पहाड़) की रक्षा करने में सक्षम है। चूँकि आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते भूमि और पहाड़ों के अधिग्रहण (बांध और खनन के लिए) आदिवासियों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक मजबूत गाँव सभा पेसा कानून का उपयोग करते हुए अपनी जमीन और पहाड़ों को बचा सकती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (क) में प्रावधान है कि किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति के काश्तकार की कृषि भूमि अन्य जाति के पास नहीं जा सकती।

- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (ख) के अनुसार तहसीलदार को यह अधिकार है कि आदिवासी के खेत पर गैर आदिवासी को अतिक्रमणकारी मानते हुए बेदखल कर खेत का कब्जा असली मालिक यानी आदिवासी को दिलावें।

- राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अप्रेल 2002 एवं नियम 20 के अनुसार तहसीलदार के अतिक्रमणकारी को बेदखल करने के अधिकार अब पंचायत समिति में निहित किये गये हैं। वर्ष 2002 से ही पंचायत समिति को यह अधिकार मिला हुआ है।

- राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अवैध कब्जे की सूची गस्त गिरदावरी के समय तैयार करें। इन सूचियों को वे गाँव सभा या ग्राम पंचायतों की बैठकों मे चर्चा हेतु प्रस्तुत करें। अतिक्रमणकारी को कब्जा वापस देने के लिए समझौता किया जाएगा। उसके द्वारा कब्जा न छोड़ने की स्थिति में कब्जा वापस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को दिलाया जाएगा। अगर वह कब्जा नहीं छोड़ता है तो पंचायत समिति में अतिक्रमणकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी।

- पंचायती राज विभाग ने भी दिनांक 20 जुलाई, 2002 को ही जिलाधिकारियों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु लिखा था कि पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति के पक्ष में निर्णय होने के

PESA_Book_LET_20.indd 19 21/03/20 9:17 am

पश्चात उसे कब्जा वापस दिलाने की जिम्मेदारी भी गाँव सभा या ग्राम पंचायत की होगी।

- नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव की आज्ञा दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 में बेदखली की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है कि अतिक्रमणकारी को बेदखल करने की कार्यवाही प्रशासन एवं स्थाई समिति करेगी। बेदखली के आदेश पारित हो जाने के बाद विकास अधिकारी बेदखली आदेश की पालना हेतु संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को निर्देश देंगे। राजस्व विभाग ऐसे दिशा निर्देश अपने विभाग को जारी करेगा।

जमीन की रक्षा के लिए गाँव सभा बैठक की प्रक्रिया : अगर किसी आदिवासी की जमीन गैर-आदिवासी को हस्तांतरित हो गई है या फर्जी तरीके से ले ली गई है तो उसे वापस दिलाने के लिए गाँव सभा में सभी को सूचित कर के गाँव सभा की बैठक की जाएगी। सरपंच और सचिव को 7 दिन पहले सूचना देकर तय समय व स्थान पर बैठक कर के अतिक्रमणकारी से आदिवासी की जमीन वापसी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर के उसकी प्रतिलिपि पंचायत समिति को भेजनी होगी। पंचायत समिति के फैसले के बाद जमीन वापस दिलाने की जिम्मेदारी गाँव सभा या ग्राम पंचायत की होगी। (**जमीन की रक्षा के लिए सूचना व प्रस्ताव का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट V**)।

3. भूमि अधिग्रहण– राज्य सरकार या केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं (बांध, खनन, उद्योग, सड़क आदि) एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करती रहती है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को उनके कब्जे की भूमि का भूमि अधिकार-पत्र नहीं मिला है जबकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी से वही बसे हुए हैं। उनके कब्जे की भूमि को सरकार ने जंगल, बिनानाम और चारागाह के रूप में दर्ज कर रखा है। किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण में उनके कब्जे की जमीन छिन जाती है। काबिज भूमि का भूमि अधिकार-पत्र नहीं होने से उनको मुआवजा भी नहीं मिलता और वह बेदखल कर दिये जाते है। इस अधिग्रहण के कारण लगभग 3 करोड़ आदिवासी दर बदर हो गये है। उनकी सारी जमीन सरकार और उधोगपतियों के कब्जे में चली गयी है। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण संबंधी हितों के संरक्षण के लिए पेसा नियम 18 में गाँव सभा से परामर्श का प्रावधान किया गया है।

1. जब सरकार किसी अधिनियम के अधीन भूमि का अधिग्रहण करने का विचार करती है तब सरकार या संबंधित अधिकारी गाँव सभा को प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

    - परियोजना के संभावित समाघात (नुकसान) के साथ प्रस्तावित परियोजना की संपूर्ण रूपरेखा।

PESA_Book_LET_20.indd 20 21/03/20 9:17 am

- प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण।
- गाँव में बसने वाले संभावित नए लोग और क्षेत्र तथा समाज पर संभावित प्रभाव।
- गाँव सभा के लोगों के लिए प्रस्तावित भागीदारी, मुआवजे की रकम, रोजगार के अवसर।

2. उपरोक्त सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात संबंधित गाँव सभाएं प्राधिकरणों और सरकार के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से इसका परीक्षण करने के लिए बुलाने को सक्षम होंगी। ऐसे बुलाए गए समस्त व्यक्तियों को बिंदुवार और सही जानकारी देना अनिवार्य होगा।
3. गाँव सभा समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास योजना के संबंध में सिफारिश करेगी।
4. गाँव सभा की सिफारिश पर सरकार या संबंधित अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।
5. यदि सरकार या संबंधित अधिकारी गाँव सभा की सिफारिश से सहमत नहीं है तो वह मामले को पुनर्विचार के लिए गाँव सभा को पुन: भेज देगा।
6. यदि दूसरे परामर्श के पश्चात सरकार या संबंधित अधिकारी गाँव सभा की सिफारिशों के विरुद्ध कोई आदेश पारित करते हैं तो ऐसा करने के लिए लिखित में कारण बताना होगा।
7. औद्योगिक परियोजनाओं की दशा में ऐसी समस्त गाँव सभाओं से जो ऐसी परियोजना से प्रभावित हैं परामर्श किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण रोकने के लिए गाँव सभा बैठक प्रक्रिया: गाँव सभा की भूमि का अधिग्रहण अगर किसी परियोजना में हो रही है तो गाँव के सभी मतदाताओं को सूचित कर के तय समय पर गाँव सभा की बैठक की जाएगी। बैठक में सरकारी या सम्बन्धित अधिकारी को बैठक में बुलाने के लिए 7 दिन पहले सूचना देनी होगी। बैठक में उपस्थित सरकारी या सम्बन्धित अधिकारी परियोजना की सम्पूर्ण रूप रेखा प्रस्तुत करेगा। गाँव सभा सभी तथ्यों पर विचार कर के प्रस्ताव पारित करेगी। जिस पर सरकार या सम्बन्धित अधिकारी विचार करेगा। भूमि अधिग्रहण रोकने के मुद्दे पर गांव सभा आयोजित करने के लिए सूचना व प्रस्ताव का प्रारूप के लिए **(देखें- परिशिष्ट VI)**।

4.लघु वन उपज पर मालिकाना अधिकार– वन विभाग की अधिसूचना दिनांक 17

PESA_Book_LET_20.indd 21 21/03/20 9:18 am

जुलाई, 2003 में लघु वन उपज (शहद, मोम, छाल, महुआ, फूल, आयल, सीड्स, जंगली झाड़ियां, शाक, आंवला, बेहड़ा, जड़ी-बूटी, रीठा, जामुन, खिरनी, मोलसरी, आम, बेर, सीताफल, लिसोड़ा, तेंदूपत्ता और उसका फल, घास और चारा, पलाश के पत्ते आदि) से होने वाली आय पर अधिकार ग्राम पंचायतों का होगा, जो ग्राम वन सुरक्षा समितियों (जिसमें स्थानीय नागरिक होते हैं) और वन विभाग के बीच इकरारनामा के अनुसार निर्णय होगा। तेंदूपत्ता संग्रहण वन विभाग करेगा। प्रशासनिक व्यय काट करके शेष राशि को जिला परिषद के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण किया जाएगा।

गाँव सभा के माध्यम से आदिवासी ही वन उपज के मालिक हैं। गाँव सभा ही लघु वन उपज की नीलामी और उसकी आय अपने कोष में रख सकती है।

बांस संग्रहण के संबंध में

- बांस की नाले, उसके पृष्ठ वनकाल में नहीं काटी जाएगी।
- बांस के प्रत्येक पुंज में कम से कम तीन या चार पुराने व मजबूत बांस बाहरी परिधि के साथ बराबर दूरी पर छोड़े जाएंगे।
- बांस पुंज जमीन से कम से कम 2 इंच से कम और 6 इंच से अधिक नहीं काटा जाएगा। कटाई के लिए तेज धारदार औजार उपयोग में लेने होंगे।
- वन विभाग बांस की निरंतर पैदावार गाँव सभा के लिए, वैज्ञानिक रूप से करेगा।
- जहां ग्राम वन समिति हैं, बांस नीलाम करने व अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वन विभाग के डिपो को परिवहन कर सकेंगे।
- फसल व परिवहन व्यय घटाने के बाद वन विभाग शुद्ध राजस्व पंचायत को हस्तांतरित कर देगा।
- ग्राम सभा यह राशि समुदाय के विकास एवं बांस वृद्धि पर करेगी।
- तेंदूपत्ता संग्रहण के संबंध में
- तेंदूपत्ता वन विभाग द्वारा संग्रहित किया जाएगा।
- बांस व तेंदूपत्ता से प्राप्त राजस्व का गाँव सभा वार/पंचायत वार हिसाब करने व आय का हस्तांतरण करने के लिए वन विभाग समूची प्रक्रिया का निर्धारण पंचायती राज विभाग की सहमति से करेगा।
- विभिन्न ग्राम सभाओं से संग्रहित तेंदू पत्ते के ब्योरे वन विभाग द्वारा गठित

PESA_Book_LET_20.indd 22 21/03/20 9:18 am

सलाहकार समिति द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को उस दर पर जिस पर तेंदूपत्ता प्रतिवर्ष संग्रहित किया जाता है, सलाह देने के लिए संकलित किए जाएंगे।

- गाँव सभा इस आय का 50% भाग आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए एवं 50% भाग तेंदूपत्ता उत्पादन वृद्धि के लिए उपयोग में लेगी।
- चूँकि लघु वन उपज, बांस व तेंदूपत्ता जनजाति क्षेत्र की पंचायतों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है अतः ग्राम वन उत्पादन एवं प्रबंधन कमेटी को आदिवासी जिलों की समस्त पंचायतों में स्थाई समिति को समाहित किया जाएगा।

गाँव सभा के लिए शर्ते

1. वन की जमीन, वृक्ष, वन्यजीव का स्वामित्व गाँव सभा को नहीं है।
2. कोई व्यक्ति वन भूमि के किसी भी भाग से ऐसी घास नहीं कटेगा, जो घास कटाई के लिए बंद है।
3. वन भूमि से घास 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक के सिवाय वर्ष की किसी काल अवधि में नहीं काटी जाएगी।
4. कोई व्यक्ति वन के ऐसे भाग में जो समय-समय पर खंड वन अधिकारी द्वारा चराई के लिए खोले जाए के सिवाय पशु नहीं चरायेगा।
5. कोई व्यक्ति लघु वन उपज के स्वामित्व अधिकारों का उपयोग करने के दौरान किसी खड़े पेड़ को गिरायेगा नहीं, जड़ से नहीं उखाड़ेगा, छेदेगा नहीं, तार की जाली से आच्छादित नहीं करेगा, आरा नहीं चलाएगा।
6. कोई लघु वन उपज, वन भूमि से सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले इकट्ठी नहीं करेंगे। जब तक कि खंड वन अधिकारी द्वारा निर्देश जारी न किया गया हो।
7. 15 जुलाई से 30 सितंबर तक के बीच वन भूमि के 200 मीटर में कोई गाँव वासी आग नहीं जलायेगा।
8. कोई लघु वन उपज, मुख्य वन्यजीव वार्डन के निर्देश के बिना संरक्षित क्षेत्रों, अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों, संरक्षित रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से हटाई नहीं जाएगी।

लघु वन उपज पर मालिकाना अधिकार के लिए गाँव सभा बैठक प्रक्रिया: गाँव सभा लघुवन उपज पर मालिकाना हक़ के लिए गाँव सभा की बैठक आहुत करके उस बैठक में गाँव के वन में लघु वन उपज पर नियंत्रण और प्रबंधन का प्रस्ताव पारित करेगी। बैठक की

PESA_Book_LET_20.indd 23 21/03/20 9:18 am

सूचना एजेंडे के साथ 7 दिन पहले सरपंच, सचिव और वन रेंज अधिकारी को दी जाएगी। तय समय, स्थान और दिनांक को बैठक में लघु वन उपज पर स्वामित्व का प्रस्ताव पारित करके, पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वन रेंज अधिकारी, जनजाति आयुक्त और पंचायत में दी जाएगी। (**लघु वन उपज पर मालिकाना अधिकार के लिए सूचना व प्रस्ताव का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट VII**)।

5 सामाजिक विवाद का निपटारा - गाँव सभा किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए अपनी परम्परा के अनुसार विवाद का निपटारा करेगी। विवाद की सुनवाई जनता के बीच होगी। सम्बंधित व्यक्तियों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जायेगा। विचार सुनने के बाद गाँव सभा निष्कर्ष देगी।

आपसी विवाद निपटाने की प्रक्रिया–

1. किसी विवाद को सुलझाने के दौरान गाँव सभा या शांति समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपनी परंपरा के अनुसार कार्यवाही करेगी।

2. किसी विवाद की सुनवाई केवल जनता के बीच होगी। अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व संबंधित समस्त पक्षकारों के व्यक्तियों और कार्यवाही में सक्रिय रूप से जुड़े अन्य व्यक्तियों यदि कोई हो, उनके विचार अभिव्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

3. समस्त व्यक्तियों के विचार सुनने के पश्चात शांति समिति गाँव सभा को आगे कार्यवाही करने के लिए अपना निष्कर्ष देगी।

4. गाँव सभा के समस्त सदस्यों के पास शांति समिति के निष्कर्षों और प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर होगा।

5. गाँव सभा के विचार प्राप्त करने के पश्चात शांति समिति, समुचित संशोधन यदि कोई हो, उसके पश्चात पुन: गाँव सभा को अपने निष्कर्ष और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और उसे सर्व सम्मति या बहुमत के आधार पर गाँव सभा के निर्णयों के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

6. यदि शांति समिति के निष्कर्ष या प्रस्ताव गाँव सभा में बहुमत प्राप्त नहीं करते हैं तो पक्षकारों के साथ अनौपचारिक वार्ता करने के पश्चात शांति समिति मामले को गाँव सभा की अगली बैठक में पुन: प्रस्तुत करेगी और गाँव सभा का निर्णय अंतिम होगा।

7. यदि गाँव सभा के किसी निर्णय से प्रभावित कोई व्यक्ति या समूह यह महसूस करता है कि उनके अधिकारों का कोई अतिक्रमण हुआ है और अपराध कार्य किया गया है और प्रभावित व्यक्ति पुलिस थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराता

PESA_Book_LET_20.indd 24 21/03/20 9:18 am

है, तब ऐसे मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी निर्णय के संबंध में पूर्ण जानकारी के लिए गाँव सभा या शांति समिति से संपर्क करेगा।

पुलिस की भूमिका –

1. यदि स्थानीय पुलिस को किसी गाँव सभा के क्षेत्र में शांति भाग होने की किसी संभावना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो केवल उन मामलों के जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही अनिवार्य है। संबंधित पुलिस अधिकारी गाँव सभा को या शांति समिति को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। ऐसे मामले में मध्यस्थ या किसी व्यक्ति के विरुद्ध निवारक उपाय केवल गाँव सभा के साथ परामर्श के साथ किये जाएंगे।

2. यदि पुलिस को किसी अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो केवल गंभीर अपराध की दशा में या किसी असाधारण स्थिति में जहां पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही जरुरी है। पुलिस थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात उसकी एक प्रति गाँव सभा या शांति समिति को भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो गाँव सभा की विशेष बैठक में या उसकी आगामी बैठक में मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

3. उन अपराधों को गंभीर माना जाएगा जिनके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में दो या अधिक वर्ष के दंड का प्रावधान है।

6. प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार– गाँव सभा की सीमा में आने वाले प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन, जानवर, खनिज इन सभी संसाधनों का सभी लोग समान रूप से उपयोग कर सकें और उसे सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए गाँव सभा यह तय करेगी कि इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो जिससे कि जीविका का साधन बना रहे, लोगों के बीच असमानता की वृद्धि न हो तथा संसाधन कुछ लोगों तक सीमित न हों। संरक्षण को ध्यान में रख कर संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकने का अधिकार है।

प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए गाँव सभा बैठक की प्रक्रिया : गाँव में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर गाँव सभा के अधिकार के लिए गाँव सभा की बैठक में सभी गाँव के मतदाताओं की उपस्थिति होनी चाहिए, इसके लिए गाँव के सभी मतदाओं को सूचना देनी होगी, बैठक के 7 दिन पहले सरपंच और सचिव को सूचना दी जानी चाहिए। सूचना की प्रतिलिपि जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी को भी भेजनी होगी। तय समय और स्थान पर गाँव सभा की बैठक होगी जिसमें गाँव सभा के प्राकृतिक संसाधनों को गाँव सभा के अधीन करने पर चर्चा कर के सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित होगा। (**प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए सूचना व प्रस्ताव का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट VIII**)।

PESA_Book_LET_20.indd 25 21/03/20 9:18 am

7. **गाँव के जल संसाधन/लघु जलाशयों का प्रबंध** – गाँव के छोटे जल संसाधनों जैसे नाला, तालाब, एनीकट का निर्माण और प्रबंधन गाँव सभा के अंतर्गत होगा।

- लघु जलाशयों का प्रबंध पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा किया जाएगा (धारा 3 ज)।
- सिंचाई विभाग के आदेश क्रमांक 1366 दिनांक 31 मार्च, 2000 के अनुसार पंचायतों को 200 एकड़ तक की सिंचाई करने वाले तालाब देने के आदेश जारी किए गए थे। वह तालाब यदि एक से अधिक पंचायतों में सिंचाई करता हो तो तालाब पंचायत समिति को दिया जाता है। तालाब का रख-रखाव एवं स्टाफ का वेतन भी पंचायत द्वारा देना होगा। पंचायत प्रस्ताव करके ऐसे तालाब की मांग करें यदि अब तक नहीं लिए हो।
- दिनांक 30 जून, 2003 को पुन: 4-5(8) सि./मा.क. 2003 जारी कर पंचायतों को 80 से 300 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के लघु सिंचाई तालाब, औजार एवं मशीन इत्यादि हस्तांतरण के आदेश जारी हुए। एक सहायक अभियंता जिला परिषद में और कनिष्ठ अभियंता स्टाफ सहित पंचायत समिति में स्थानांतरित किया गया है, बजट भी दिया गया है। स्टाफ को लघु दंड देने की शक्ति भी पंचायत समिति/जिला परिषद को दी जा चुकी है।
- पंचायत के सरपंच उन तालाबों की सिंचाई वसूली के अलावा प्राकृतिक उपज की नीलामी, मछली पालन, सिंघाड़े आदि की भी नीलामी कर पंचायत की आय बढ़ा सकते हैं।
- आदेश प. (5)4/प.पा./89 जयपुर दिनांक 27 मई, 2000 द्वारा डी क्लास के मत्स्य पालन तालाब पंचायतों को हस्तांतरित करने के आदेश हो चुके हैं ताकि पंचायतों कि आय बढ़े।
- आदेश 7 (21) प.पा./2001 दिनांक 27 जून, 2003 द्वारा समस्त सी क्लास के मत्स्य जलाशय पंचायत समितियों को और बी क्लास के 193 मत्स्य जलाशय जिला परिषदों को स्थानांतरित किए गए हैं। पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी, मत्स्य अधिकारी व लेखाकार कमेटी ठेका निविदा के बाद स्वीकृत करेगी। ठेका 5 वर्ष तक दिए जा सकते हैं। विगत 3 वर्षों की औसत आय के आधार पर ठेका दर तय होगी। हर साल 12% बढ़ोतरी होगी।
- जिला परिषद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, जिला मत्स्य अधिकारी, सचिव तथा लेखाधिकारी सदस्य होंगे। पांच लाख से अधिक वार्षिक आय वाले तालाब

PESA_Book_LET_20.indd 26 21/03/20 9:18 am

मत्स्य विभाग को हस्तांतरित माने जाएंगे। जिला मत्स्य अधिकारी एवं उसका स्टाफ जिला परिषद के अधीन कार्य करेगा। बजट भी जिला परिषद को आवंटित होगा।

8. गौण खनिज– गाँव सभा की सीमा में पाये जाने वाले गौण खनिज पर गाँव सभा का अधिकार है। गौण खनिज के सर्वे की अनुमति गाँव सभा से लेनी होगी। नीलामी से लेकर खनन के मामलों में रियायत देने के पहले सिफारिश का अधिकार गाँव सभा को है।

गौण खनिज पर नियंत्रण की प्रक्रिया

राजस्थान में खनिज संपदा के विपुल भंडार हैं। आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र होने से अधिकतर खनिज भी आदिवासी इलाकों में पाया जाता है। पहाड़ियों के बीच नदी-नाले होने के कारण बजरी, रेती, ग्रेवल, गिट्टी वाला पत्थर, इमारती पत्थर बहुतायत में पाया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अप्रेल, 2002 एवं नियम दिनांक 20 जून, 2002 द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के उप नियम 7 के बाद उप नियम 8 जोड़ कर संशोधन किया गया है, जिसमें पंचायती राज संस्था की पूर्व सिफारिश के बिना कोई लीज/लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और न ही नीलामी की जाएगी। मुख्य सचिव के दिशा निर्देश दिनांक 30 जनवरी, 2012 के अनुसार लीज/पट्टा नवीनीकरण के लिए भी उसी तरह पूर्व सिफारिश अनिवार्य होगी, जैसे पहली बार लीज/पट्टा देने के लिए भी पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र को पंचायती राज संस्था के पास भेजने से पूर्व, खनिज अभियंता की जिम्मेदारी होगी कि लीज/पट्टा की शर्तों व खनिज नीति के अनुसार पर्यावरण संबंधी शर्तों को पूर्ण करने की रिपोर्ट खनिज अभियंता मौका तस्दीक कर रिपोर्ट करेगा।

- नियम 27 के अनुसार अगर खनिज सम्पदा पंचायत क्षेत्र के अंदर है तो उसका अधिकार ग्राम सभा को होगा।
- यदि खनिज संपदा एक से अधिक पंचायतों के अंदर है तो उसका अधिकार पंचायत समिति को होगा।
- यदि खनिज संपदा एक से अधिक पंचायत समितियों के अंदर है तो उसका अधिकार जिला परिषद को होगा।
- नियम 68 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए 5 हजार की फीस संबंधित पंचायत में जमा करनी होगी। पंचायत 30 दिन का नोटिस जारी करके अनापत्तियां आमंत्रित कर उन पर विचार करेगी।

PESA_Book_LET_20.indd 27 21/03/20 9:18 am

- नियम 28 के अनुसार संबंधित खनिज अभियंता/सहायक खनिज अभियंता प्रस्तावित क्षेत्र की योजना तथा राजस्व नक्शे पर क्षेत्र का निशान लगाकर संबंधित अधिकार क्षेत्र वाली पंचायत या पंचायत समिति को भेजेगा। प्रस्ताव प्राप्ति के 30 दिन के अंदर विचार कर सिफारिश भेजनी होगी। प्रस्ताव अस्वीकार करने पर कारण लिखित में बताने होंगे। 30 दिन में भेजी गई पंचायत की लिखित रिपोर्ट से यदि खनिज विभाग असहमत है तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अंतर्गत संबंधित पंचायत समिति को पंचायत के आदेश पारित करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा। पंचायत समिति की प्रशासन स्थाई समिति अपील की सुनवाई करेगी। पंचायत समिति/जिला परिषद की सिफारिश खनिज विभाग के लिए बाध्यकारी होगी।

गौण खनिज पर नियंत्रण करने के लिए गाँव सभा बैठक की प्रक्रिया : गाँव सभा की सीमा के अन्दर अगर गौण खनिज (रेती, मकान बनाने का पत्थर, ग्रेवल, गिट्टी) है तो इस पर गाँव सभा का नियंत्रण करने के लिए गाँव सभा के सभी मतदाताओं को सूचित करना होगा। सरपंच और सचिव को 7 दिन पहले बैठक की सूचना देनी होगी। सूचना की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जनजातीय आयुक्त और खंड विकास अधिकारी को देनी होगी। बिना गाँव सभा की अनुमति के अगर गौण खनिज का खनन हो रहा है तो चर्चा कर के उसे रोकने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लेना चाहिए। गाँव के लोगों की जरुरतों को पूरा करने तथा विक्री कर के गाँव सभा की आय बढ़ाने के लिए भी चर्चा कर के प्रस्ताव सर्वसम्मति से लेना चाहिए। (**गौण खनिज पर नियंत्रण के लिए सूचना व प्रस्ताव का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट IX**)।

9. गाँव के हाट बाजार के प्रबंधन का अधिकार- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पेसा कानून के नियम 2011 में गाँव के हाट बाजार का प्रबंधन कैसे होगा? उसके संचालन की क्या व्यवस्था होगी आदि विषयों पर नियमों में कोई स्पष्टता नहीं की गयी है। लेकिन आदिवासी समाज अपनी परम्परा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत गाँव सभा, स्थानीय स्तर पर लगने वाले दिहाडी बाजार, हाट बाजार, मेले आदि का आयोजन, उसके स्थान, पेयजल, सुरक्षा, संचालन का प्रबन्ध करेगी। इसके लिए गाँव सभा कुछ सदस्यों की समिति भी गठित कर सकती है और उसे इसकी जिम्मेदारी दे सकती है।

10. कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण– सूदखोर, महाजन, सरकारी या गैर-सरकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों द्वारा आदिवासीयों को उधार देने पर गाँव सभा नियंत्रण रखेगी। किसी भी प्रकार से मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जा सकेगा। उधार पर धन देने वालों को पंचायत से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है, गैर-कानूनी पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही की जा सकती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

PESA_Book_LET_20.indd 28 21/03/20 9:18 am

गाँव में लोगों को उधार पर धन (कर्ज) देने वालों को पंचायत से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। गैर-कानूनी पाए जाने पर गाँव सभा और ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा सकती है। राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अप्रेल, 2002 एवं नियम 21 से 23 के अनुसार साहूकारी अधिनियम में वर्णित सहायक रजिस्ट्रार को दिए गए अधिकार ग्राम पंचायत को दिए गए हैं-

- पंजीकृत साहूकार, सरकारी या गैर-सरकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों का रजिस्टर रखना (धारा 4) तथा नोटिस बोर्ड पर कर्ज देने वाले की सूची लगाना।
- समय-समय पर रजिस्टर में कोर्ट के आदेशों का इंद्राज करने (धारा 17) व लाइसेंस की नकल देने (नियम 14) एवं अन्य इंद्राज (नियम 6-7) करना।
- नए लाइसेंस हेतु 15 रुपए फीस जमा कर एवं प्रार्थना-पत्र की जांच कर पंचायत समिति को भेजना (नियम 10)।
- आसामी वार ऋण देने की राशि एवं ब्याज दर्शाते हुए मासिक सूची प्राप्त करना (धारा 21)।
- वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना (धारा 23, नियम 18)।
- साहूकार या बैंकों के अधिकारियों को बुलाकर रिकॉर्ड पेश करने हेतु आदेश देने का अधिकार (धारा 16 (i))।
- रिकॉर्ड देखने के लिए साहूकार के घर में प्रवेश करने का अधिकार (धारा 16 (ii))।
- व्यापार के स्थान का निरीक्षण करने का अधिकार व देखना कि लाइसेंस है या नहीं (नियम 13)। सूचना पट्ट पर नाम लिखा है या नहीं (धारा 37) तथा कर्ज देने एवं सामान गिरवी रखने के लेख बराबर रखे हुए हैं (धारा 22-23), (नियम 17-18)।
- नियमानुसार गिरवी रखने वाले से 9% एवं बिना गिरवी रखने वाले से 12% की दर से अधिक ब्याज वसूलने पर (अधिनियम दिनांक 1 अक्टूबर, 1965) या अन्य अनियमितता पाये जाने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही हेतु पंचायत समिति को लिखना (धारा 9)।
- गिरवी सामान की रसीद देना, जमा राशि की लिखित रसीद देना अनिवार्य है (धारा 22)।

PESA_Book_LET_20.indd 29 21/03/20 9:18 am

- उधारी दी गई राशि पर मूलधन से अधिक ब्याज लेना अपराध है (धारा 29)।
- गलत लेखा-जोखा रखना भी अपराध है (धारा 40)। हर साल साहूकार और बैंकों से रिटर्न मांगना, ब्याज पर अंकुश लगाने का कार्य ग्राम पंचायत कर सकती है।

कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण करने के लिए गाँव सभा बैठक की प्रक्रिया : आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी के कारण कर्ज का लेन-देन करने वाली कंपनियां बहुतायत में हैं, जिसमें अधिकांश फर्जी कंपनियां पैसे ले कर भाग जाती हैं।कुछ कंपनियां मूलधन के दुगने से ज्यादा पैसा वसूल करती हैं। सूदखोर, महाजन, सरकारी या गैर सरकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों द्वारा आदिवासियों को उधार देने तथा जबरन वसूली पर गाँव सभा नियंत्रण रखेगी। इस नियंत्रण के लिए गाँव सभा गाँव के सभी मतदाताओं को सूचित कर के गाँव सभा बैठक का आयोजन करेगी। बैठक की सूचना सरपंच और सचिव को 7 दिन पहले देनी होगी। बैठक में जो भी व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी बैंक कर्ज का लेन-देन कर रहे हैं उनकी सूची और उनकी पंचायत द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है या नहीं इसकी जानकारी सरपंच से लेकर गाँव सभा कर्ज पर नियंत्रण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करेगी। जिससे कोई फर्जी कंपनी गाँव में लेन-देन न कर सके और साहूकार, सूदखोर या बैंक कर्ज से दुगनी वसूली न कर सके। (**कर्ज के लेनेदेन पर नियंत्रण के लिए सूचना व प्रस्ताव का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट X**)।

11. गाँव विकास योजना का अधिकार के बारे में– सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और जन योजनाओं को कब, कहां और कैसे कार्यान्वित करना है? इसके बारे में सबसे पहले गाँव सभा से अनुमति लेनी होगी। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान और चयन का पूरा अधिकार गाँव सभा को है। अर्थात् सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कब, कहां और कैसे कार्यान्वित करना है? इसके बारे सबसे पहले गाँव सभा की अनुमति लेना जरुरी होगी। गांव विकास योजना कैसे तैयार करते हैं आइये इसे समझने का प्रयास करते हैं -

पेसा क्षेत्र में गाँव विकास योजना का अर्थ तथा महत्व

पेसा कानून में आदिवासियों को जो 13 शक्तियाँ (अधिकार) प्राप्त हैं, उसमें **गाँव विकास योजना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण** है। इस अधिकार के अंतर्गत गाँव सभाएं अपने गाँव के प्राकृतिक संसाधन का बेहतर उपयोग और प्रबंधन करके गाँव के लोगों की आर्थिक आय में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि गाँव सभा एक मजबूत और ताकतवर गाँव सभा हो। कमजोर गाँव सभाएं इस अधिकार को प्राप्त करने में पूर्णतया असमर्थ होंगी। गाँव विकास योजना तैयार करते समय मौजूदा समय में गाँव की स्थिति

PESA_Book_LET_20.indd 30 21/03/20 9:18 am

और आगामी पांच वर्षों में क्या-क्या बदलाव करने हैं, इसकी स्पष्ट रुपरेखा तैयार करनी चाहिए। गाँव की कुछ समस्याएं दीर्घकालिक भी होती हैं। इसके लिए गाँव सभा को 10 वर्षीय योजना तैयार करना चाहिये। उदाहरण के लिए अगर गाँव में जंगल है तो उस पर सामुदायिक वनाधिकार दावा करके जंगल को गाँव सभा के अधीन करना और उसे पुनर्जीवित करने के लिए जंगल को दो भागों में बांट कर एक भाग में वृक्षारोपण करना, उसकी बाड़ेबंदी, पशुओं के प्रवेश पर रोक, लकड़ी काटने पर प्रतिबन्ध (कुल्हाड़ी बंदी) सिंचाई की व्यवस्था, उसकी देख-रेख करने के लिए गाँव के लोगों को जिम्मेदारी देना। दूसरे भाग में पशुओं को चराने, घास काटने, लकड़ी लाने के लिए खुला छोड़ना। पाँच साल बाद जब पौधे बड़े हो जायें तब पहले भाग को खुला छोड़ना तथा दूसरे भाग में पाँच वर्ष तक वृक्षारोपण, उसकी बाड़ेबंदी, कुल्हाड़ी बंदी और पशुओं के प्रवेश पर रोक लगा कर 10 वर्ष में जंगल को हरा-भरा किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर गाँव से नदी या बड़ा नाला गुजरता है तो फसलों की सिंचाई के लिए 10 वर्षीय योजना बना कर सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। सिंचाई की योजना बनाते समय पड़ोसी गाँवों की भी मदद लेनी पड़ सकती है। इसके लिए ऊंचाई की ओर से कच्चे और पक्के एनिकट का निर्माण और नीचे की ओर तालाब का निर्माण करके 10 वर्ष बाद, पूरे वर्ष भर के लिए नदी और नालों में पानी रोक कर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। बेहतर निर्माण और प्रबंधन के लिए वन विभाग और सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है। गाँव सभा इसी तरह से शिक्षा की समुचित व्यवस्था, गाँव के रास्ते, गाँव में सरकारी सुविधाओं से वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, गाँव को नशा मुक्त बनाने, आपसी विवाद का निपटारा, सामाजिक कुरीतियों पर रोक आदि की पंच वर्षीय योजना तैयार कर सकती है। इस योजना में यह भी तय करना कि पहले वर्ष में क्या करना है, दूसरे वर्ष में क्या कार्य करना है, इसी तरह आगामी पाँच वर्षों में प्रत्येक कार्य की रुपरेखा तैयार करना। गाँव की समस्याओं के निदान के लिए गाँव सभा की नियमित बैठक करना, लोगों में पेसा कानून की समझ विकसित करना, गाँव सभा की कमेटियों को सक्रिय करना, लोगों की किसी भी समस्या का तुरन्त समाधान करने की व्यवस्था करना। उपरोक्त सभी कार्य गाँव विकास नियोजन के अंतर्गत आते हैं। यह सभी कार्य एक सशक्त गाँव सभा ही कर सकती है और धीरे-धीरे गाँव को स्वावलम्बी बना कर गाँव के नौजवानों का पलायन रोकने के साथ-साथ अपनी आय में भी लगातार वृद्धि कर सकती है।

गाँव विकास योजना कैसे तैयार करें ?

राजस्थान पेसा कानून की नियमावली, 2011 के अन्तर्गत गाँव सभा को अपने गाँव की विकास योजना बनाने का अधिकार प्राप्त है। गाँव विकास योजना तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है कि गाँव की समस्याओं की सूची पहले से तैयार हो। गाँव सभा बैठक करने से पहले एजेंडे को शांति समिति द्वारा तैयार करना, एजेंडे की सूचना सरपंच, सचिव, गाँव वासियों, गाँव में कार्यरत सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को 7 दिन पहले देना।

PESA_Book_LET_20.indd 31 21/03/20 9:18 am

एजेंडा तैयार हो जाने के बाद शांति समिति द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान की योजना गाँव सभा बैठक से पहले तैयार करना आदि मुख्य कार्य है। नियत समय पर गाँव सभा की बैठक में सबसे पहले गाँव सभा रजिस्टर में कार्यवाही लिखने के बाद सभी एजेंडे भी लिखें और सभी एजेंडों को पढ़कर सुनायें। इसके बाद अगर किसी का कोई एजेंडा छूट गया हो तो उसे भी लिखा जाना चाहिए। एजेंडा लिख लिए जाने के बाद एक-एक एजेंडे पर चर्चा करने से पहले शांति समिति द्वारा तैयार योजना गाँव के लोगों के बीच में रखी जानी चाहिए और प्रत्येक एजेंडे की योजना पर चर्चा करते हुए आवश्यक फेरबदल के साथ उसे पारित करना चाहिए। सभी प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद गाँव सभा में उपस्थित सभी लोगों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। फिर उपस्थित सभी लोगों का हस्ताक्षर कराने के बाद कार्यवाही को अग्रसारित (पंचायत में जमा कराना) करने की कुछ लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए।

गाँव विकास योजना के मुख्य चरण

गाँव सभा को अपने गाँव की विकास योजना बनाने से पहले तीन जानकारियां इकट्ठी करना बेहद जरुरी है। इन जानकारियों के आधार पर ही गाँव सभा एक बेहतर गाँव विकास योजना तैयार कर सकती है।

1. गाँव के प्राकृतिक संसाधनों की सूची और उनकी वर्तमान हालत- जल, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, गौण खनिज आदि
2. मानवीय संसाधनों की सूची और उनकी वर्तमान हालत- घर, स्कूल, आगनबाड़ी, अस्पताल, हैण्डपम्प, कुआं, तालाब, रास्ता, चौराहा, आवागमन के साधन, पशुपालन, पशुओं के लिये चारे की स्थिति आदि।
3. सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों की सूची- वृद्धा, विधवा, एकल नारी, विकलांग पेंशन और पालनहार योजना, श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड, स्कूल से वंचित बच्चे, मनरेगा में मिलने वाले काम के दिन तथा मजदूरी, भुगतान, मनरेगा में आवेदन के बाद आवेदन की रसीद मिलती है या नहीं आदि।

उपरोक्त जानकारी जुटा लेने के बाद गाँव सभा में बैठकर गाँव का नजरिया नक्शा तैयार करना। नक्शे में गाँव के संसाधनों को दर्शाना। वर्तमान हालत का नजरिया नक्शा तैयार हो जाने के बाद गाँव में कौन-कौन से विकास कार्य करने हैं? उसका भी नजरिया नक्शा तैयार करना चाहिए।

उपरोक्त कार्य पूरा होने के बाद ही गाँव सभा एक बेहतर गाँव विकास योजना तैयार कर सकती है। गाँव विकास योजना तैयार करने से पहले सरपंच/सचिव को सूचना देनी होगी कि '**अब अपने गाँव की आगामी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव हमारी गाँव सभा में पारित**

PESA_Book_LET_20.indd 32 21/03/20 9:18 am

होगा जो आपको उपलब्ध करवा दिया जायेगा'। इस सूचना को देने के बाद एजेंडे की सूचना भी सरपंच/सचिव के साथ गाँव के सभी लोगों को तथा गाँव में कार्यरत सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारियों को गाँव सभा बैठक से 7 दिन पहले देनी चाहिए।

नजरिया नक्शा कैसे तैयार करें?

गाँव गणराज्य की घोषणा करने के लिए गाँव का वर्तमान नजरिया नक्शा बनाना गाँव सभा के लिए आवश्यक है। यह नजरिया नक्शा गाँव गणराज्य घोषणा पत्र के साथ राज्यपाल को भेजना होता है। नजरिया नक्शा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बेहद जरूरी होती है। इन जानकारियों के बगैर नजरिया नक्शा नहीं बनाया जा सकता। ये निम्न हैं-

- दिशा का निर्धारण
- गाँव की सीमा का निर्धारण
- पड़ोसी गाँव
- संकेत चिन्हों की सूची
- गाँव के सभी प्राकृतिक, मानवीय संसाधनों की सूची

नजरिया नक्शा बनाने के लिए आवश्यक चीजें रबर, पेंसिल, चार्ट, रंग आदि हैं। इनकी व्यवस्था पहले ही कर ली जाये। उपरोक्त जानकारी व सूचना एकत्रित करने के बाद गाँव का नजरिया नक्शा बनाने के लिए गाँव के सभी फलों में सूचना देकर गाँव सभा की बैठक करके उसमें नजरिया नक्शा तैयार करना चाहिए। गाँव के जितने ज्यादा लोग बैठक में उपस्थित रहेंगे, नक्शा उतना ही बढ़िया तैयार होगा। वर्तमान नजरिया नक्शा तैयार हो जाने के बाद गाँव में क्या-क्या विकास कार्य करना है? उसका भी नजरिया नक्शा तैयार करना चाहिए।

नजरिया नक्शा बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए-

1. नजरिया नक्शा बनाते समय गाँव के कमजोर वर्गों (निर्धन, विकलांग, एकल महिलाएं इत्यादि) की राय जरूर शामिल करें।
2. नजरिया नक्शा बनाने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो सभी लोगों की राय को नक्शे में शामिल करे। गाँव के दंबग व्यक्ति को नक्शा बनाने का अधिकार न दें।
3. गाँव की बारीक से बारीक जानकारी नक्शे में शामिल होनी चाहिए।
4. संकेत सूची और दिशाओं का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
5. गाँव की संख्यात्मक जानकारी से संबंधित सारणी अवश्य शामिल की जानी चाहिए।

PESA_Book_LET_20.indd 33 21/03/20 9:18 am

सामाजिक-आर्थिक और भौतिक स्थिति का विश्लेषण

गाँव विकास योजना तैयार करने से पहले गाँव सभा की बैठक में गाँव की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक स्थिति का विशलेषण अति आवश्यक है। क्योंकि इसके बाद गाँव सभा एक बेहतर योजना तैयार कर सकती है। गाँव में रहने वाले कौन-कौन लोग हैं? किस धर्म, जाति, सम्प्रदाय से हैं उनकी सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाज, परम्परा, रहन-सहन, खान-पान क्या हैं? साथ ही साथ गाँव में नशाखोरी, बाल-विवाह, डायन प्रथा, भूत सिद्धी, पशुबलि, धार्मिक और जातिय कलह आदि सामाजिक बुराइयों की पूरी जानकारी गाँव सभा को होनी चाहिए। गाँव में आर्थिक रूप से सबसे कमजोर परिवारों की जानकारी कि वह लोग सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं या वंचित हैं। गाँव सभा को जानकारी होनी चाहिए कि गाँव में स्वयं सहायता समूह, निजी/सरकारी बैंकों/फाइनेंस कम्पनियों द्वारा शोषण तो नहीं किया जा रहा है। मनरेगा में 100 दिन काम, निर्धारित मजदूरी मिल रही है या नहीं। गाँव में प्राकृतिक व मानवीय संसाधन क्या-क्या हैं? उनकी हालत कैसी है? जैसे जंगल, नदी, नाले, तालाब, गौण खनिज, सिंचित व असिंचित भूमि, सिंचाई की व्यवस्था, कृषि भूमि की स्थिति, कुंआ, हैंडपंप, आवास, एनिकट, बांध, रास्ते आदि किस स्थिति में हैं? इसकी पूरी जानकारी और सूची तैयार करना बेहद जरुरी है।

विश्लेषण के आधार पर समस्या/मुददों की सूची तैयार करना

गाँव की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद गाँव में क्या-क्या समस्याएं हैं? और किन-किन समस्याओं का समाधान तुरन्त होना चाहिए? जैसे- रास्ते, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, आपसी विवाद जैसी समस्याओं का समाधान तुरन्त करने की जरूरत होती है। कुछ समस्याओं के समाधान में काफी समय लगता है। यानी जो दीर्घकालिक समाधान योग्य समस्याएं हैं उनकी सूची अलग तैयार करनी चाहिए जैसे- काबिज भूमि का अधिकार पत्र लेना, सामुदायिक वनाधिकार दावा पत्र, भूजल स्तर ऊँचा करना, सिंचाई के साधन आदि।

प्रस्ताव पारित करने के लिए गाँव सभा बैठक में स्वीकृति

गाँव सभा की बैठक में प्रस्ताव लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि गाँव सभा की बैठक में गाँव के प्रत्येक फले से हर घर के लोग शामिल हों और बैठक में महिलाओं की भागीदारी बराबर हो। बैठक शुरू होने से पहले एजेंडों को पढ़ कर सभी को सुनाया जाना चाहिए। अगर किसी का कोई एजेंडा छूट गया है तो उसे भी एजेंडे में शामिल करके एक-एक एजेंडे पर चर्चा शुरू करनी चाहिए और उस एजेंडे पर आम सहमति बना कर उसका अनुमोदन (पारित) करना चाहिए। जब एजेंडों पर चर्चा होने के बाद अनुमोदन हो जाए तब सभी अनुमोदित (पारित) एजेंडों को पढ़ कर सभी को सुनाया जाना चाहिए। उसके बाद उपस्थित सभी लोगों का हस्ताक्षर करवाकर उसे पंचायत में जमा करने की जिम्मेदारी कुछ

PESA_Book_LET_20.indd 34 21/03/20 9:18 am

लोगों को देनी चाहिए और उन लोगों का नाम रजिस्टर में दर्ज करके अध्यक्ष द्वारा सभा का समापन करना चाहिए।

गाँव सभा कहाँ अप्रोच करे?

गाँव सभा में प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने के बाद प्रस्ताव के रजिस्टर की दो फोटोकॉपी के साथ निश्चित दिनांक को गाँव सभा के लोगों के साथ ग्राम पंचायत पर जाकर प्रस्ताव की एक फोटोकॉपी पंचायत में जमा करके, दूसरी फोटोकॉपी पर सरपंच या सचिव के हस्ताक्षर और मुहर लगा कर रसीद के रूप में ले लेनी चाहिए और रसीद (पावती) की तीन फोटोकॉपी कराके जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी को रजिस्ट्री करके रसीद लेकर गाँव सभा को फाईल में लगा देनी चाहिए। इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक जो वर्ष में 4 बार (1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी) होती है उस बैठक में पूरी गाँव सभा को शामिल होकर अपने प्रस्ताव को पंचायत के रजिस्टर में दर्ज कराना, उसकी रसीद लेना और पंचायत के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इसके लिए पूरी गाँव सभा को पंचायत की बैठक में शामिल होना होगा।

पंचायत के एक्शन प्लान में प्रस्ताव शामिल हो जाने के बाद अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों से जानकारी लेते रहना चाहिए। जैसे विद्यालय सम्बन्धी प्रस्तावों के लिए शिक्षा विभाग, सिंचाई के लिए सिंचाई विभाग, पेयजल के लिए जलदाय विभाग, सरकारी योजनाओं के लिए पंचायतीराज विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि।

ग्राम पंचायत को विभिन्न विभागों से मिलने वाला बजट

1. मनरेगा (जॉब कार्ड के आधार पर) में गाँव सभा के सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन काम की गारंटी मिलती है और प्रतिदिन मजदूरी 199 रुपया है। मान लिया जाए कि किसी गाँव में 100 जॉब कार्ड हैं तो कुल जॉब कार्ड x कुल दिन x कुल मजदूरी
   100 x 100 x 199 = 1990000 रुपया
   कुल मजदूरी 1990000 रुपया का 40% मैटेरियल का पैसा (जो लगभग 800000 रुपया) भी जुड़ जाता है। जो लगभग 2970000 रुपया होता है। केवल मनरेगा से ही अगर गाँव में 100 जॉब कार्ड है तो 2970000 रु. प्रति वर्ष आता है।

2. T.S.P. - Tribal Sub Plan जनजातिय उप योजना के अन्तर्गत पांचवीं अनुसूची के ग्राम पंचायतों को मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौ पालन, फलदार पौधे इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

3. B.R.G.F. – Backward Regions Grant Fund पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत पुलिया, पक्की सड़क, सी.सी. सड़क इत्यादि पर खर्च किया जाता है ।

PESA_Book_LET_20.indd 35 21/03/20 9:18 am

4. T.A.D.A. – Tribal Area Development Authorities जनजातिय क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुओं में ब्लास्टिंग, सम्पर्क सड़क, एनिकट निर्माण, छात्रावास निर्माण, डीजल पम्प सेट, विद्युत कनेक्शन के लिए आर्थिक मदद करता हैं।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग: पक्की सड़क, पुलिया इत्यादि योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध करवाता हैं।

6. सांसद, विधायक, प्रधान तथा जिला प्रमुख अपनी निधि से हैण्डपम्प, सार्वजनिक कुंआ, विद्यालय भवन मरम्मत, खेल मैदान, चारदिवारी, पंचायत भवन, रास्ता निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए अपने क्षेत्र में पैसा खर्च कर सकते हैं। यह पंचायत और जनप्रतिनिधि के सम्बन्धों पर निर्भर है कि वह पंचायत में अपने मद से कितना पैसा देते हैं।

7. सिंचाई विभाग (50 लाख तक पंचायत, इससे अधिक होने पर सिंचाई विभाग): सिंचाई विभाग, नहर निर्माण, जिस बांध के बनाने में 50 लाख से ज्यादा खर्च हो उसका निर्माण नदियों से पानी नहर में पानी के लिए लिफ्ट पम्प आदि पर खर्च करता है।

8. समाज कल्याण विभाग (समस्त पेंशन योजनायें) : विधवा, वृद्धा, विकलांग, एकल नारी और पालन हार योजनाओं के लाभार्थियों की पेंशन के लिए पैसा देता है।

9. शिक्षा विभाग : विद्यालय निर्माण, खेल मैदान, चारदीवारी, आरओ, शौचालय निर्माण के लिए पैसा देता है।

10. महिला एवं बाल विकास विभाग : गाँव में आंगनबाड़ी, माँ वाड़ी निर्माण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार की व्यवस्था करता है।

11. स्वास्थ्य विभाग : स्वास्थ्य भवन निर्माण और स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुफ्त दवाइयों के वितरण के लिए पैसा देता है।

12. रसद एवं खाद्य विभाग : गाँव में बंटने वाले सरकारी राशन के लिए तथा राशन की दुकान निर्माण या राशन की दुकान के किराए के लिए पैसा देता है।

13. वन विभाग : गाँव में वृक्षारोपण के लिए पौधे, जंगल के विकास के लिए जंगल में मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण, पानी के लिए छोटे-छोटे बांध, बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए पैसे खर्च करता है।

14. कृषि विभाग : उन्नतशील बीज, खाद, पशुओं का चारा, कृषियंत्र, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि छूट के साथ उपलब्ध कराता है।

PESA_Book_LET_20.indd 36 21/03/20 9:18 am

15. उद्यान विभाग : सार्वजनिक जमीन पर वृक्षारोपण तथा व्यक्तिगत बागवानी करने के लिए पौधे, मजदूरी, सिंचाई की व्यवस्था तथा 5 वर्ष तक देखरेख की व्यवस्था।

16. जलदाय विभाग : गाँव में शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था, आरओ लगाना, गाँव के कुंओं में दवा की व्यवस्था करना।

17. जल स्वाबलम्बन योजना : गाँव में भूजल स्तर ऊँचा करने के लिए छोटे-छोटे कच्चे-पक्के बांध बनाना।

18. अकाल या क्षति होने पर : गाँव में सूखा पड़ने, बाढ़ आने या अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान के लिए अनुदान राशि।

गाँव विकास के प्रस्तावों पर आम सहमति बनाना

राजस्थान पेसा कानून के अनुसार किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए गाँव के मतदाताओं की 10% उपस्थिति कोरम पूरा करने के लिए अनिवार्य है। लेकिन एक सशक्त गाँव सभा के लिए गाँव के सभी फलों के प्रत्येक परिवार के लोगों को बैठक में शामिल होना जरूरी है, साथ ही साथ विवादित मामलों पर विशेष ध्यान दे कर उस पर आम सहमति बना कर गाँव की एक जुटता कायम करना चाहिए।

गाँव सभा में गांव विकास योजनाओं के प्रस्तावों की प्रस्तुति की प्रक्रिया- सचिव/सरपंच की भागीदारी नहीं होने पर प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की क्या प्रक्रिया होगी?

केन्द्र के मूल पेसा कानून में गाँव सभा को यह अधिकार दिया गया है कि गाँव सभा गाँव के ही किसी व्यक्ति को आम सहमति से एक वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनेगी। लेकिन राजस्थान सरकार ने 2011 में जो नियम बनाए हैं उसमें सरपंच और उपसरपंच को पदेन अध्यक्ष बना दिया है, जो गाँव सभा बैठक की अध्यक्षता करेंगें। गाँव सभा की बैठक में अगर सरपंच या उपसरपंच नहीं आते हैं तब गाँव सभा की बैठक में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को आम सहमति से अध्यक्ष चुन कर बैठक की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

गाँव सभा और ग्राम पंचायत का सम्बन्ध

पेसा कानून में गाँव सभा को गाँव विकास योजना का प्रस्ताव लेने और उसका अनुमोदन करने का अधिकार तो दिया है लेकिन बजट का कोई प्रावधान गाँव सभा को नहीं दिया है। सारा बजट ग्राम पंचायत में आता है। ग्राम पंचायत में शामिल सभी गाँवों की योजनाओं पर पंचायत ही खर्च करती है लेकिन पेसा कानून में गाँव सभा को यह अधिकार दिया गया है कि गाँव में किये गये किसी भी विकास कार्य का प्रमाणीकरण गाँव सभा करेगी। अगर गाँव सभा सशक्त और एकमत हो तो पंचायत द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और अपने प्रस्ताव के अनुरूप और मानक के अनुसार कार्य कराने में समर्थ होगी।

PESA_Book_LET_20.indd 37 21/03/20 9:18 am

गाँव सभा की बैठक सूचना का प्रारूप, बैठक आहुत आदि

पेसा कानून के अंतर्गत गाँव गणराज्य की घोषणा के बाद गाँव सभा को अपने गाँव की विकास योजना तैयार करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। गाँव गणराज्य की घोषणा के बाद सबसे पहले सरपंच को सूचना देनी होती है कि अब हम अपने गाँव की आगामी पंच वर्षीय योजना का प्रस्ताव हमारी गाँव सभा में पारित करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि पंचायत में उपलब्ध करा दी जायेगी। (**ग्राम पंचायत में सरपंच/सचिव को सूचनार्थ गाँव विकास योजना बनाने का सूचना प्रपत्र का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट XI**)

गाँव विकास योजना के लिए शांति समिति की बैठक

गाँव विकास योजना बनाने की सूचना सरपंच को देने के बाद, शांति समिति बैठक करके गाँव विकास योजना का ऐजेण्डा तैयार करेगी। ऐजेण्डा तैयार हो जाने के बाद गाँव सभा को बैठक का दिन, समय और स्थान तय करके इसकी सूचना सरपंच और सचिव को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी। एजेण्डे की सूचना गाँव के हर फले के लोगों को दी जानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग गाँव सभा की बैठक में उपस्थित हो सकें। गाँव में एजेण्डे की सूचना देने की जिम्मेदारी शांति समिति को स्वयं लेनी होगी। एजेण्डा की सूचना प्रपत्र का प्रारूप के लिए **देखें- परिशिष्ट XII**

गाँव विकास योजना में क्या-क्या होगा?

गाँव सभा की बैठक में अगर सरपंच और सचिव नहीं आते हैं तब बैठक में उपस्थित गाँव के किसी भी व्यक्ति को आम सहमति से अध्यक्ष चुनकर विधिवत कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। गाँव सभा की बैठक में प्रत्येक फले के लोगों को शामिल होना जरूरी है तभी पूरे गाँव की समस्याओं को प्रस्ताव में लेकर हम उसका अनुमोदन कर सकते हैं। अध्यक्ष का चुनाव कर लेने के बाद गाँव सभा के कार्यवाही रजिस्टर पर बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही को लिखा जायेगा। बैठक की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद पूरी कार्यवाही को पढ़कर गाँव सभा में उपस्थित लोगों को सुनाया जायेगा। उसके बाद सभी का हस्ताक्षर करवाके बैठक का समापन किया जायेगा। (**गाँव सभा में प्रस्ताव लिखने व पारित करने का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट XIII**)

गाँव सभा में प्रस्ताव लिखने व पारित करने के बाद

गाँव सभा रजिस्टर में लिखे गये प्रस्ताव और उसके अनुमोदन की सभी कार्यवाहियों की 2 फोटोकॉपी करवा कर उस पर कवरिंग लेटर लगाते हैं। कवरिंग लेटर पर शांति समिति के अध्यक्ष और सचिव की मुहर लगाकर उस पर हस्ताक्षर करके, एक प्रति पंचायत में जमा करानी होगी और दूसरी प्रति के कवरिंग लेटर पर सरपंच या सचिव के हस्ताक्षर और मुहर लगवा कर गाँव सभा अपने पास रखेगी, जो प्रमाण होगा कि गाँव सभा ने अपने प्रस्ताव पंचायत में जमा किए हैं। सरपंच या सचिव की हस्ताक्षर युक्त फोटोकोपी की तीन प्रतिलिपि

PESA_Book_LET_20.indd 38 21/03/20 9:18 am

तैयार करके बी.डी.ओ., सी.ई.ओ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और जिलाधिकारी को रजिस्ट्री करनी होगी। (**पंचायत में प्रस्ताव जमा करने का कवरिंग लेटर (प्रपत्र) का प्रारूप के लिए देखें- परिशिष्ट XIV**)

उपरोक्त प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद जब ग्राम पंचायत की बैठक जो कि साल में 4 बार (1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी) होती है, उस बैठक में पूरी गाँव सभा को जाकर अपने प्रस्ताव को पंचायत के रजिस्टर में दर्ज कराना और इसकी रसीद लेनी होगी। इसके लिए गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को ग्राम पंचायत की बैठक में शामिल होना होगा।

12. वित्तीय व्यवस्था– ग्राम पंचायत के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आने वाली सभी निधियों पर गाँव सभा का नियंत्रण होगा। जो भी खर्च किया जायेगा उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र गाँव सभा को देना होगा। अर्थात प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस ग्राम पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का गाँव सभा से प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा। राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने संबंध में उपांतरण) अधिनियम 1999 धारा (घ) में यह अधिकार गाँव सभा को दिया गया है। **देखें- परिशिष्ट XV**

13. संस्था और कार्यकर्ता पर नियंत्रण- पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाएं जो क्षेत्र में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं, एजेंसियों जैसे उप स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी, विद्यालय, पंचायती राज संस्थान तथा स्थानीय कर्मचारियों जैसे- पटवारी, सचिव, अध्यापक, एएनएम आदि तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं पर भी गाँव सभा का नियंत्रण होगा, जिससे उन पर किये जा रहे खर्च एवं उपयोगिता परिभाषित हो सके।

गाँव सभा बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्रारूप

गाँव सभा बैठक में जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं और उस पर चर्चा करने के बाद जिन-जिन प्रस्तावों को पारित किया जाता है उसे पंचायत के अलावा विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिलाधिकारी और सम्बन्धित विभाग को गाँव सभा बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिससे आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके। कभी-कभी मुकदमें के दौरान कोर्ट में भी गाँव सभा के बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करनी पड़ सकती है। **देखें- परिशिष्ट XVI**

PESA_Book_LET_20.indd 39 21/03/20 9:18 am

केंद्रीय पेसा कानून 1996 और राजस्थान पेसा अधिनियम 1999, नियम 2011 की विसंगतियां

केंद्र सरकार द्वारा पेसा कानून में आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि अधिकार तो गाँव सभा को दिए गए हैं लेकिन विकास के लिए गाँव सभा को धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह अधिकार सरपंच के पास है। गाँव सभाएं अपने विकास की योजना तो बना सकती है लेकिन उसमें खर्च होने वाले धन के लिए सरपंच का मुंह देखना पड़ता है। देश में भ्रष्टाचार ने जिस तरह से जड़ जमा लिया है उसके चलते गाँव सभा अपनी योजना के अनुसार कार्य करने में बिल्कुल असमर्थ है। यह तो ऐसा ही है जैसे शरीर तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। दूसरी बात आदिवासी क्षेत्र में पेसा कानून के अंतर्गत संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर गाँव सभा का अधिकार है। गाँव सभा की सहमति के बगैर कोई भी उनके प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन, पहाड़, खनिज) को नहीं ले सकता लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों की प्राकृतिक संपदा पर उद्योगपतियों को कब्जा कराया जा रहा है। पेसा कानून को मात्र कागजी कानून में बदल दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन आदिवासी क्षेत्र के लिए पेसा कानून बना वही लोग आज 23 साल बाद भी यह नहीं जानते कि हमारे लिए कोई कानून भी बना है और इसी अज्ञानता का लाभ सरकार और उद्योगपति ले रहे हैं। सचमुच केंद्र और राज्य सरकारें यदि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के प्रति ईमानदार हैं तो पेसा कानून को धरातल पर उतारना होगा और उनको वह सारे अधिकार देने होंगें जो पेसा कानून में दिए गये हैं।

केंद्रीय पेसा कानून 1996 और राजस्थान पेसा अधिनियम 1999 और नियम 2011 में काफी विसंगतियां हैं। मूल पेसा कानून में गाँव सभा को जो अधिकार मिले हैं उसे राजस्थान सरकार ने काफी हद तक सीमित कर दिया है। अधिकार सीमित करने के अलावा एक सबसे बड़ा काम जो राजस्थान सरकार ने किया है वह गाँव सभाओं को पंचायत के अधीन कर दिया है। गाँव सभा को दंत विहिन शेर बना दिया है। एक तरह से गाँव सभा की स्वायत्तता ही खत्म कर दी गई। केंद्र सरकार के पेसा कानून को राज्य सरकार ने कैसे प्रभावहीन बना दिया इसे हम विस्तार से देखेंगे।

1. मूल पेसा कानून में टोला, ढाणी या फले को उनका गाँव माना गया है लेकिन राजस्थान सरकार ने फले को गाँव नहीं माना, राजस्व गाँव को ही गाँव माना है। इसके कारण गाँव सभा को आपसी सहमति बनाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासियों का निवास सामान्यत: पहाड़ी क्षेत्रों

PESA_Book_LET_20.indd 40 21/03/20 9:18 am

में है। उनकी आबादी काफी विरल है। घर दूर-दूर बने हुए हैं। राजस्व गाँव कई किलोमीटर में फैला होने के कारण उनको एक साथ गाँव सभा की बैठक में शामिल हो पाना असंभव नहीं तो काफी कठिन जरूर है। उनके फले उपजातियों के अनुसार बसे हुए हैं। एक राजस्व गाँव में कई फले होने से कई उपजातियों के लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी मामले पर गाँव सभा को एकमत कर पाना काफी कठिन होता है। साथ ही साथ विवाद की स्थिति में तो एक फले के लोग दूसरे फले के साथ बैठ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार की नियत पर ही संदेह होता है।

2. मूल पेसा कानून नियम 2 (1) के अनुसार गाँव के जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो गई है। वह गाँव सभा के सदस्य होंगें, उनका नाम मतदाता सूची में भले ही ना हो। लेकिन राजस्थान सरकार के नियम (3) के अनुसार गाँव के मतदाता ही गाँव सभा के सदस्य होंगे। इससे जो खतरा है वह यह कि गाँव के इमानदार और तेजतर्रार लोग जो गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं उन लोगों का मतदाता सूची से नाम कटवा कर उनकी गाँव सभा की सदस्यता को ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनकी गाँव सभा के संचालन और निर्णय लेने में कोई भी भूमिका नहीं होगी। जिससे पंचायत को अपनी मनमानी करने का मौका मिलेगा।

3. केंद्र सरकार के नियम (6) के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव या सहायक सचिव गाँव सभा की कार्यवाही लिखेगा लेकिन राज्य सरकार के पेसा नियम 5 (6) के अनुसार पंचायत समिति या विकास अधिकारी गाँव सभा की कार्यवाही लिखेंगे। इस नियम के बदलने से जो समस्या आ रही है वह यह कि पंचायत समिति (ब्लॉक) में सैकड़ों गाँव होने के कारण पंचायत समिति या विकास अधिकारी गाँव सभाओं की बैठक में जा ही नहीं सकते और ना ही उनको अनिवार्य रुप से बैठक की कार्यवाही लिखने की बात है। जबकि ग्राम पंचायत सचिव के होने से वह गाँव सभाओं में आसानी से जाकर कार्यवाही लिख सकते हैं। क्योंकि एक ग्राम पंचायत में एक से पांच तक राजस्व गाँव होते हैं।

4. केंद्र पेसा नियम 10 (4) के अनुसार गाँव सभा की बैठक में गाँव के कुल वयस्कों का 5% उपस्थिति कोरम पूरा करने के लिए जरूरी था जिसमें 33% महिला हों जबकि राजस्थान सरकार के नियम 6 के अनुसार कुल मतदाता का 10% उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य है उसमें महिलाओं की उपस्थिति का कोरम अलग से नहीं रखा गया है। इस नियम में बदलाव से गाँव सभा की बैठक सामान्यता कोरम के अभाव में निरस्त हो जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि

PESA_Book_LET_20.indd 41 21/03/20 9:18 am

गाँव में लोग इतने दूर-दूर बसे हैं कि उनको बैठक में शामिल हो पाना काफी मुश्किल है। दूसरा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने से महिलाओं की भूमिका गाँव सभा में सीमित हो जाएगी।

5. नियम 10 (1) में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है कि गाँव सभा 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अपना अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम को बदलकर सरपंच और उपसरपंच को पदेन अध्यक्ष बना दिया। एक तरह से राज्य सरकार ने गाँव सभा की स्वायत्तता समाप्त करके ग्राम पंचायत (सरपंच/उपसरपंच) के अधीन कर दिया है।

6. आपसी विवाद निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने नियम 13 (9) में केवल गाँव सभा को अधिकृत किया गया है। गाँव सभा से पहले कोई शिकायत अगर पुलिस में जाती है तो पुलिस कोई कार्यवाही न करके उसे गाँव की शांति समिति में भेजेगी। लेकिन राजस्थान सरकार के नियम 16 (1) में गाँव सभा का यह अधिकार एक तरह से छिन गया है। विवाद निपटारा पुलिस के हस्तक्षेप के बगैर नहीं हो सकता।

7. नियम 34 मे केंद्र सरकार ने गाँव सभा की सीमा के अंदर आने वाले संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन (जल, जंगल, जमीन, पहाड़, खनिज) का अधिकार गाँव सभा को दिया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने बड़ी चालाकी से नियम 17 में जंगल पर से अधिकार गाँव सभा का समाप्त कर दिया है। जो कि आदिवासियों के जीवन यापन का मुख्य साधन है। एक तरह से राजस्थान सरकार ने आदिवासियों के जीवनयापन का साधन ही छीन कर उनको असहाय बना दिया है।

8. केंद्र सरकार के मूल पेसा कानून में लघु वन उपज पर गाँव सभा का पूरा अधिकार है। इसमें वन प्रबंधन, वन उपज का प्रबंधन (इकट्ठा करना और विक्रय करना) आदि शामिल है लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने नियम 25 और 26 में लघु वन उपज के बिक्री करने का अधिकार गाँव सभा से छीन लिया है।

9. केंद्र और राजस्थान सरकार ने गाँव सभा को कोई भी धन आवंटन नहीं किया है। धन का आवंटन ग्राम पंचायत को किया है। गाँव सभाएं अपने विकास की योजना तो बना सकती है लेकिन धन के अभाव में उसे पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए उन्हें अपने गाँव के विकास के लिए ग्राम पंचायत पर आश्रित रहना होगा।

PESA_Book_LET_20.indd 42 21/03/20 9:18 am

केंद्रीय पेसा कानून 1996 और राजस्थान पेसा अधिनियम 1999, नियम 2011 की विसंगतियां

क्र.सं.	केंद्रीय पेसा कानून 1996	राजस्थान पेसा कानून 1999
1.	नियम 4 के अर्न्तगत जहां वे रह रहे है (फले में) अपनी परम्पराओं के साथ जी रहे है। वह फले ही उनके गाँव है।	राजस्थान सरकार ने पेसा कानून के अर्न्तगत फले को गाँव नहीं माना। राजस्व गाँव को गाँव माना। इसके कारण लोगों को निर्णय लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
2.	नियम 2 (1) के अनुसार वयस्क सदस्य गाँव सभा के सदस्य है, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में हो या न हो।	नियम (3) के अर्न्तगत गाँव के मतदाता ही गाँव सभा के सदस्य होंगे।
3.	नियम 6 के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव या सहायक सचिव गाँव सभा की कार्यवाही लिखेंगे।	नियम 5 (6) के अनुसार पंचायत समिति, विकास अधिकारी गाँव सभा में रजिस्टर की कार्यवाही लिखेंगे।
4.	नियम 10 (4) के अनुसार बैठक का कोरम गाँव के कुल वयस्कों का 5 प्रतिशत है। महिलाओं के लिए बैठक में शामिल लोगों में से 33 प्रतिशत होना चाहिए।	राजस्थान नियम 6 के अनुसार गाँव सभा का कोरम गाँव के कुल मतदाता का 10 प्रतिशत होना चाहिए, महिलाओं की उपस्थिति का कोरम अलग से नहीं रखा गया है।
5.	नियम 10 (1) में गाँव सभा किसी भी व्यक्ति को आम सहमति से 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनती है। सरपंच/उपसरपंच इसके लिए पात्र नहीं है।	नियम 7 के अनुसार गाँव सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच/उपसरपंच करेंगे।
6.	नियम 13 (1) आपसी विवादों के निपटारे के लिए केवल गाँव सभा को अधिकृत किया गया है। गाँव सभा से पहले अगर कोई शिकायत पुलिस में जाती है तो पुलिस कार्यवाही न करके उनको गाँव की शांति समिति में भेजेगी।	नियम 16 (1) के अनुसार आपसी विवादों के निपटारे के लिए पुलिस थाना में विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी और पुलिस गाँव सभा की राय से कोई निर्णय करेगी।

PESA_Book_LET_20.indd 43 21/03/20 9:18 am

7.	नियम 34 के अनुसार अपने गाँव सभा की सीमा के अन्दर आने वाले प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन, पहाड़ एवं खनिज पर गाँव सभा का पूरा अधिकार है।	नियम 17 के अनुसार गाँव की सीमा में आने वाले प्राकृतिक संसाधन जल, जमीन, पहाड़ एवं खनिज पर गाँव सभा का अधिकार है। राजस्थान सरकार ने जंगल को छोड़ दिया है, जिससे की गाँव सभा को जंगल पर किसी भी प्रकार का सामुदायिक/व्यक्तिगत दावा करने का अधिकार नहीं मिलता।
8.	नियम 38 के अनुसार गाँव सभा ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) की जमीन किसी भी गैर जनजाति आदिवासी के नाम स्थानांतरित न हो अगर कर दी गयी है तो उसे वापस पाने का अधिकार है।	नियम 19 के अनुसार गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति की जमीन गैर जनजाति आदिवासी को स्थानांतरित न की जाए।
9.	लघुवन उपज पर पूरा अधिकार गाँव सभा को है, इसमें वन प्रबन्धन, वन उपज का प्रबन्धन (इकट्ठा करना, बिक्री करना) आदि शामिल है।	नियम 25 व 26 के अनुसार गाँव सभा को सीमित अधिकार दिया गया है। वह बिक्री नहीं कर सकती है।

जिन आदिवासी क्षेत्रों में यह पेसा कानून लागू है वहां के लोगों को जो अधिकार केंद्र सरकार ने नहीं दिए हैं और दिए गए अधिकारों को जो राजस्थान सरकार ने छीन लिया है उसे पाने के लिए लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही साथ पेसा कानून पूरी तरह से सरकार द्वारा लागू किया जाये इस लड़ाई को भी साथ-साथ लड़ना होगा क्योंकि मात्र कानून बन जाने से वंचित समुदाय उसका लाभ तब तक नहीं ले पाता जब तक वह कानून धरातल पर लागू नहीं किया जाता। **सरकार अगर इस कार्य को नहीं कर रही है तब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करें।** आने वाले दिनों में यह संघर्ष तेज नहीं किया गया तो आदिवासियों की उनकी अपनी अकूत संपदा ही उनकी कब्रगाह बन जाएगी।

PESA_Book_LET_20.indd 44 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट

परिशिष्ट ।

शांति समिति गठित करने की सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....

श्रीमान प्रखंड विकास अधिकारी / सरपंच/सचिव
ब्लॉक - जिला-

विषय : गाँव ..... में शांति, सुरक्षा और आपसी सामजिक विवादों को सुलझाने हेतु शांति समिति गठित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत..... राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रों में उनको लागू होने के संबंध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में विधिवत गाँव सभा आयोजित की गई है। गाँव के छोटे-छोटे विवादों का समाधान करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे हमारे गाँव के सभी लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने के अलावा सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

अत: आपसे निवेदन है कि पंचायती राज अधिनियम 1999 की धारा 3(ख) नियम 8, 9 के तहत हमारे गाँव की विशेष गाँव सभा की बैठक की गई है, जिसमें शांति, सुरक्षा और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए 20 सदस्यों की शांति समिति के गठन पर चर्चा करके प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें श्रीमान जी की उपस्थिति आवश्यक है।

भवदीय

गाँव सभा कमेटी सदस्य एवं गाँव वासी
1.....2.....3.....4.....5.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्रीमान प्रखंड विकास अधिकारी, ब्लॉक.....
2. श्रीमान सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत.....

PESA_Book_LET_20.indd 46 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट II

राज्यपाल को भेजे जाने वाले कवरिंग लेटर का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....

श्रीमान राज्यपाल महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)

विषय: गाँव का सीमांकन, गाँव सभा का आयोजन और गाँव गणराज्य की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र पर जरुरी फेर बदल के साथ लागू किया है।

हमारे गाँव के आवास समूह/गाँव..... तहसील..... जिला.....के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है। हम लोग अपने सभी कार्यकलापों का प्रबंध अपनी परम्पराओं के अनुरूप एक समुदाय के रूप में करते आए हैं। हमारा यह रहवास, जिसकी भौगोलिक सीमाएं नीचे दी गयी है, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम 1999 कि धारा 2 (क) के तहत गाँव की परिभाषा में आता है। आज दिनांक..... को हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और धारा 3 (क) के तहत गाँव सभा का गठन किया है। हमारी गाँव सभा अब धारा 3 (ख) के तहत हमारी परम्पराओं और रुढियों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्रोतों और विवाद निपटाने के रूढ़िगत तरीके को सुरक्षित और परिरक्षित करने में सक्षम है। इस आधार पर हमने भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गाँव गणराज्य की स्थापना का निर्णय लिया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के तहत हमारे रहवास को गाँव सभा के रूप में अधिसूचित करने कि व्यवस्था करें।

भवदीय
सदस्यगण कमेटी

अध्यक्ष सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी
2. पुलिस अधीक्षक
3. जिला वन अधिकारी
4. उप-जिलाधिकारी
5. प्रखंड विकास अधिकारी
6. सम्बंधित थाना
7. ग्राम पंचायत

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी, संसाधन की सूची और नजरिया नक्शा संलग्न हैं।

PESA_Book_LET_20.indd 47 21/03/20 9:18 am

राज्यपाल को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप

आज दिनांक..... को श्री/श्रीमती..... की अध्यक्षता में गाँव सभा कि बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया –

क्र.स.	प्रस्ताव जो रखा गया	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्ताक्षर
1.	गाँव का सीमांकन, गाँव सभा संयोजन और गाँव गणराज्य की स्थापना	हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3 (क) के तहत गाँव सभा का गठन किया और 3 (ख) के तहत हमारी गाँव सभा हमारी परम्परा और रूढ़िवादी तरीके से संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम है। इस आधार पर हमने भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गाँव गणराज्य की स्थापना का निर्णय लिया है। गठित गाँव सभा के अनुसार गाँव की भौगोलिक सीमाएं, नजरिया नक्शा के अनुसार पड़ोसी गाँव निम्न प्रकार है- पूर्व.....पश्चिम..... उत्तर.....दक्षिण..... हमारे गाँव में निवास करने वाले समूह और उनके सामान्य प्रचलित नाम- 1.....2.....3..... 4.....5..... 6..... सर्व सम्मति से शांति समिति का गठन किया जाता है। शांति समिति के सदस्यों के नाम- 1..... 2.....3.....4.....5..... 6.....7.....8.....9.....10..... 11.....12.....13.....14.....15..... 16.....17.....18.....19.....20.....	

PESA_Book_LET_20.indd 48 21/03/20 9:18 am

2.	सामुदायिक संपदा का परंपरा के अनुसार संरक्षण और परिरक्षण करने पर विचार	गाँव समाज अपनी सीमा के अन्दर आने वाले संसाधनों का अपनी परम्परा के अनुसार प्रबंधन करता आ रहा है, उसे रेखांकित करते हुए राज्यपाल महोदय को अनुच्छेद 243 (छ) के तहत हमारे रहवास को गाँव के रूप में अधिसूचित करने के लिए आग्रह किया है। इस गाँव सभा को धारा 3 (ख) के तहत लगभग उन सभी क्रियाकलापों के लिए संवैधानिक सक्षमता स्वीकार कि गयी है जो किसी भी जीवित समाज कि सहज गतिविधियाँ होती हैं। नयी व्यवस्था के अनुसार हमारे रहवास में स्थित सभी संसाधनों जैसे- जल, जंगल और जमीन शामिल हैं। इनका प्रबंधन हमारी गाँव समाज के सदस्यों द्वारा परम्परा के अनुसार संसाधनों का उपयोग एवं परिरक्षण किया जायेगा।	
3.	सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रम नियंत्रण	ग्राम पंचायत .....राजस्व गाँव ..... संविधान के अनुच्छेद 224 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपंबधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंद्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम सख्यां 16) के अंतर्गत धारा 3 (ग) (घ) एंव पेसा नियम 2011 के नियम 2 के उपनियम 2 के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है, जिसके कारण गाँव के गरीब आदिवासी नेतृत्व द्वारा गाँव के सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर निगरानी नहीं हो पा रही है। अत: सर्व सहमति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत..... को अधिसूचित किया जाय कि गाँव की गाँव सभा आयोजन कर सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रम का पूर्व अनुमोदन, लाभार्थियों कि पहचान एवं गाँव सभा से उपयोगिता प्रमाण-प्रत्र प्राप्त जारी करना। इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही करने हेतु निम्न सदस्यों को अधिकृत किया जाता है– 1.....2.....3.....4.....5.....	

PESA_Book_LET_20.indd 49 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट III

शांति समिति गठित करने के बाद पुलिस अधीक्षक को पारित प्रस्ताव भेजने के लिए कवरिंग लेटर का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....

श्रीमान पुलिस अधिक्षक
जिला.....

विषय : गाँव..... में शांति, सुरक्षा और आपसी सामाजिक विवादों को सुलझाने हेतु "शांति समिति" गठन किए जाने की सूचना प्रेषित है।

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत..... राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपंबधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में विधिवत गाँव सभा आहूत नहीं की गयी है। जिसमें हमारे गाँव में आवश्यक कार्य व योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा उक्त अधिनियम 1999 व नियम 2011 में दी गयी शक्तियों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है तथा गाँव के छोटे-मोटे कार्यों की समस्या का समाधान हेतु कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिससे हमारे गाँव के सभी लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

अत: हम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 कि धारा 3 (ख) नियम 8, 9 के तहत हमारे गाँव की "विशेष गाँव सभा" की बैठक की गयी। इस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा कि गयी–

- आदिवासी समाज कि परम्पराओं और रुढ़िगत रीति-रिवाजों, मान्यताओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्रोतों और विवाद सुलझाने के रूढ़िगत तरीको को सुरक्षित व परिरक्षित रखने कि क्षमता पर चर्चा हुई।
- शांति सुरक्षा और आपसी सामाजिक विवादों को सुलझाने हेतु 20 सदस्यों की "शांति समिति" के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया।

अत: आपसे निवेदन है कि पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार आगे से गाँव में आपसी विवादों का फैसला जो 2 वर्ष के कम सजा का होगा, गाँव सभा में होगा जिसकी सूचना प्रेषित है।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य
1..... 2..... 3..... 4.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. श्रीमान जिलाधिकारी, जिला.....
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला.....
3. श्रीमान विकास अधिकारी, पं.सं.....
4. श्रीमान थाना प्रभारी .....
5. गाँव सभा के निजी रिकोर्ड के लिए कॉपी
नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 50 21/03/20 9:18 am

शांति समिति के गठन के प्रस्ताव का प्रारुप

क्र. सं.	बैठक एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1.	आदिवासी गाँव में परम्परागत तरीके से पंच पटेलों द्वारा सामाजिक विवाद निपटारे हेतु "शांति समिति" का गठन कर धरातलीय क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए गाँव में शांति, सुरक्षा एवं समरसता का वातावरण बनाए रखना एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार।	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रों में उन्हें लागू होने के संबंध में उपरांतण) अधिनियम 1999 कि धारा 3 (ख) नियम 2011 के अध्याय 3 के नियम 11-16 के तहत गाँव में शांति बनाए रखने एवं विवादों को निपटारे हेतु- • "शांति समिति" का गठन और उसके कार्य पर चर्चा। • शांति समिति के 20 सदस्यों के चयन पर चर्चा। • गाँव सभा की बैठक में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा। **शांति समिति के निम्न सदस्य हैं–** क्र.स. नाम पिता पद हस्ताक्षर उक्त शांति समिति गाँव में शांति बनाए रखने हेतु कार्य करेगी।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि 20 सदस्यों की शांति समिति भारतीय दंड सहिता की 2 वर्ष या उसमें कम सजा वाले अपराधों को निपटाने का कार्य करेगी एवं अपने निर्णय को गाँव सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा गाँव सभा उस पर चर्चा कर अंतिम निर्णय पारित करेगी। जिसमें महिलाओं की भागेदारी 40 प्रतिशत से कम नहीं होगी। आज के बाद पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि उनके पास आने वालो विवादों कि सूचना शांति समिति को देनी होगी।	

PESA_Book_LET_20.indd 51 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट IV

अनुसूचित क्षेत्रों में शराब नियंत्रण की शक्ति पर कार्य हेतु गाँव सभा आयोजन की सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक .....
श्रीमान सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत .....
जिला ..... राजस्थान।
विषय : शराब नियंत्रण की शक्ति पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजित कर प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत.....राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ख) एवं (ट) (1) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 8 के नियम 29, 30, 31 के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है, जिसके कारण गाँव के गरीब आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान पर एवं आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आगामी 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष गाँव सभा का आयोजन करें। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी –

- पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में राजस्व गाँव की गाँव सभा का शराब पर नियंत्रण हो।
- गाँव सभा द्वारा मद्य निषेध लागू करने, मादक द्रव्य के विक्रय एवं उपभोग पर नियंत्रण के सम्बन्ध में।
- शराब नियंत्रण पर महिलाओं के विचार निर्णायक होने के साथ ही गाँव सभा द्वारा जुर्माना एवं सामाजिक, आर्थिक दंड के प्रावधान के सम्बन्ध में।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बैठक का स्थान, दिनांक व समय तय कर हमें सूचित करवाएं।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, जिला .....
2. श्रीमान जनजाति आयुक्त,.....
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला.....
4. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....
5. निजी रिकार्ड।

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 52 21/03/20 9:18 am

अनुसूचित क्षेत्रों में शराब नियंत्रण पर प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव संख्या	बैठक का एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1	गाँव में शराब नियंत्रण पर विचार	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ख) एवं (ट) (1) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 8 के नियम 29, 30, 31 के तहत गाँव सभा उपर्युक्त कार्यवाही करने में सक्षम होगी। गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी की गाँव की सीमा क्षेत्र में शराब के विक्रय और उपभोग पर नियंत्रण हो, गाँव सभा अपनी परंपरा के अनुसार शराब रखने की मात्रा एवं उपयोग का निर्धारण करेगी। गाँव सभा में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिलाधिकारी एवं आबकारी आयुक्त को भेजेगी। शराब के उपयोग एवं उपभोग सम्बन्धी नियम एवं जुर्माना गाँव सभा द्वारा लगाया जाएगा। गाँव सभा के नियमों के विपरीत कार्य करने पर कार्यवाही की जाएगी। गाँव सभा की सीमा में स्थित शराब की दुकानों को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकेगी। इस प्रकार के प्रस्तावों में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रहेगी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समुदाय परंपरागत रूप से बच्चों के जन्म, नामकरण आदि मौकों पर शराब का उपयोग कर सकेंगे। मद्य निषेध की कार्यवाही हेतु गाँव सभा संकल्प पारित कर जिलाधिकारी व आबकारी आयुक्त को भेजेगी जिस पर आबकारी आयुक्त जिलाधिकारी को संकल्प की सत्यता की जांच हेतु उचित आधिकारी को भेजने के लिए कहेगा। उस अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर आबकारी आयुक्त को सूचित किया जाएगा, जिसके आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गाँव सभा को रिपोर्ट दी जाएगी और गाँव सभा मद्य निषेध कर सकेगी और इसके लिए गाँव सभा नियम बना कर सामाजिक, आर्थिक दंड भी लगाएगी।	

PESA_Book_LET_20.indd 53 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट V

आदिवासी गाँव में भूमि के अन्य संक्रमण को रोकने एवं बेदखली की शक्ति पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजन की सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक .....
श्रीमान सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत .....
जिला ..... राजस्थान।

विषय : गाँव में भूमि के अन्य संक्रमण को रोकने एवं बेदखली की शक्ति पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजित कर प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत.....राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ट) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 5 के नियम 19, 20 के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है जिसके कारण गाँव के भूमि संसाधन संक्रमित होने के साथ ही आदिवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान एवं आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आगामी 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष गाँव सभा का आयोजन करें। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी –

- गाँव सभा द्वारा अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को हस्तानांतरित नहीं हो,
- आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जेधारियों को बेदखल करने की शक्ति पर विचार।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बैठक का स्थान, दिनांक व समय तय कर हमें सूचित करवाएं।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान जिलाधिकारी, जिला .....
2. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति .....
3. श्रीमान उपखंड अधिकारी, उपखंड.....
4. निजी रिकार्ड।

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 54 21/03/20 9:18 am

आदिवासी गाँव में भूमि के अन्य संक्रमण को रोकने एवं बेदखली की शक्ति पर कार्य हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव संख्या	बैठक का एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1	गाँव में भूमि के अन्य संक्रमण एवं बेदखली को रोकने पर विचार	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ट) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 5 के नियम 19, 20 के तहत गाँव में भूमि के अन्य संक्रमण को रोकने हेतु गाँव सभाएं परियोजनाओं व व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से प्रतिनिधियों को परिक्षण हेतु बुलाने में सक्षम होंगी। गाँव सभा यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी प्रकार से, अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तानांतरित न हो, इस हेतु प्रस्ताव पास किया जाता है। जबरन कब्जेधारियों की बेदखली के लिए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 183 (ख) के अधीन तहसीलदार की शक्तियां, विकास अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तानांतरित न हो, इस सम्बन्ध में जांच की जाएगी। जबरन कब्जेधारियों से जमीन वापस लेने हेतु गाँव सभा प्रस्ताव पास कर, लिखित में विकास अधिकारी को पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या पटवारी द्वारा आवेदन करने पर, कब्जेधारी को नोटिस तलब कर, सुनवाई की जाएगी। गाँव सभा निर्णय पारित करेगी, लगान का 50 गुना जुर्माना लगाएगी।	

PESA_Book_LET_20.indd 55 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट VI

भूमि का अधिग्रहण को रोकने हेतु
विशेष गाँव सभा आयोजन की सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक .....
श्रीमान सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत .....
जिला ..... राजस्थान।

विषय : गाँव में भूमि का अधिग्रहण, भूमि के अन्य संक्रमण को रोकने हेतु विशेष गाँव सभा आयोजित कर प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत.....राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (छ) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 5 के नियम 18 के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है जिसके कारण गाँव के भूमि संसाधन संक्रमित होने के साथ ही आदिवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान एवं आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आगामी 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष गाँव सभा का आयोजन करें। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी–

- सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण से पूर्व गाँव सभा के साथ परामर्श लेने की अनिवार्यता पर चर्चा।
- गाँव सभा द्वारा अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को हस्तानांतरित नहीं हो।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बैठक का स्थान, दिनांक व समय तय कर हमें सूचित करवाएं।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान जिलाधिकारी, जिला .....
2. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति .....

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 56 21/03/20 9:18 am

भूमि का अधिग्रहण को रोकने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव संख्या	बैठक का एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1	गाँव में भूमि का अधिग्रहण को रोकने हेतु विचार	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (छ) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 5 के नियम 18 के तहत गाँव में भूमि का अधिग्रहण, भूमि के अन्य संक्रमण को रोकने हेतु गाँव सभाएं प्राधिकरणों और सरकार के प्रतिनिधियों को इनका परीक्षण करने के लिए बुलाने को सक्षम होंगी। गाँव के किसी आदिवासी परिवार की जमीन जाने पर उसके मुआवजे व पुनर्वास की सिफारिश गाँव सभा करेगी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि सरकार या सम्बन्धित अधिकारी को गाँव सभा को प्रस्ताव की रुपरेखा, प्रभाव, लोगों की भागीदारी, गाँव का कर, रोजगार के अवसर आदि पर जानकारी देनी होगी। गाँव सभा द्वारा तथ्यों पर विचार करने के पश्चात भूमि का अधिग्रहण को रद्द या मुआवजे व पुनर्वास की सिफारिश करेगी। पड़ोसी गाँव सभाओं से परामर्श किया जाएगा।	

PESA_Book_LET_20.indd 57 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट VII

अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उपज का नियंत्रण एवं प्रबंधन करने की शक्ति सहित वन उपज पर स्वामित्व पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजन की सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....
श्रीमान सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत .....
जिला ..... राजस्थान।

विषय : लघु वन उपज पर नियंत्रण एवं प्रबंधन की शक्ति पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजित कर प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत.....राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ख) एवं (ट) (2) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 6 के नियम 25, 26 के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है जिसके कारण गाँव के गरीब आदिवासियों की आजीविका पर आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आगामी 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष गाँव सभा का आयोजन करें। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी-

- गाँव सभा का वन उपज पर मालिकाना हक।
- गाँव सभा द्वारा वन उपज का नियंत्रण और प्रबंधन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उचित कार्यवाही।

अतः आपसे निवेदन है कि पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बैठक का स्थान, दिनांक व समय तय कर हमें सूचित करवाएं।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान जनजाति आयुक्त, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला.....
3. श्रीमान रेंज अधिकारी, वन रेंज .....
4. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....
5. निजी रिकार्ड।

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 58 21/03/20 9:18 am

अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उपज का नियंत्रण एवं प्रबंधन करने की शक्ति सहित वन उपज पर स्वामित्व के प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव संख्या	बैठक का एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1	गाँव में लघु वन उपज पर नियंत्रण एवं प्रबंधन पर विचार	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ख) एवं (ट) (2) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 6 के नियम 25, 26 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 2 के उपनियम 1 में धारा 3 की उपधारा 1 के खंड (ग) के तहत उपर्युक्त कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगी। गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि गाँव की सीमा के जंगल से वन उपज के उपयोग एवं उपभोग करते हुए इसके संग्रहण एवं बिक्री आदिवासी समुदाय करें, इस हेतु प्रस्ताव पास किया जाता है। गाँव सभा यह भी सुनिश्चित करेगी कि गौण वन उपज के संग्रहण एवं बिक्री गाँव वन संरक्षण और प्रबंधन समिति, राजस संघ, सहकारी समिति में से किसी एक विकल्प पर प्रस्ताव पर कार्यवाही अथवा स्वतंत्र बिक्री। आदिवासी क्षेत्र में अवस्थित गाँव सभाएं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के नियम 2 के उपनियम 1 में धारा 3 की उपधारा 1 के खंड (ग) के तहत लघु वन उत्पाद के निपटान में विक्रय के अधिकार के अंतर्गत उपयोग या सामूहिक प्रसंस्करण, मूल्य वृद्धि, परिवहन के साधनों के माध्यम से वन क्षेत्र के भीतर या बाहर परिवहन कर सकेगी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समुदाय परंपरागत रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लघु वन उपज का संग्रहण एवं बिक्री कर अपनी आजीविका चला सके। जबरन वन विभाग आदिवासियों पर केस नहीं बनाएं, इस हेतु गाँव सभाएं पेसा एवं वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत उचित स्तर पर लिखित में कार्यवाही कर अनुशंसा करे। गाँव सभाएं लघु वन उपज संग्रहण एवं बिक्री के साथ ही वनों के संरक्षण एवं संवर्धन पर अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को सूचित कराएगी।	

PESA_Book_LET_20.indd 59 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट VIII

गाँव सभा द्वारा प्राकृतिक और सामुदायिक स्रोतों पर अधिकार, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन करने के सम्बन्ध में सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....
श्रीमान सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत .....
जिला ..... राजस्थान।

विषय : गाँव में सामुदायिक स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन करने के लिए प्रस्ताव हेतु विधिवत गाँव सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत.....राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (क) व (ख) एवं पेसा नियम 2011 के नियम 8, 9 एवं 17 के उपनियम (1) (2) के तहत आप द्वारा अभी तक गाँव सभा..... में आयोजन नहीं किया गया है। जिससे हमको आवश्यक कार्य व योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा उक्त अधिनियम 1999 व नियम 2011 में दी गई शक्तियों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है तथा गाँव के छोटे-मोटे कार्यों की समस्या का समाधान हेतु कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिससे हमारे गाँव के सभी लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। इस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की जानी है –

- गाँव सभा उसके क्षेत्र में अवस्थित सामुदायिक स्रोतों के साथ ही जल, जंगल, जमीन और खनिज को सम्मिलित करते हुए उनको जिन पर वह परंपरागत अधिकारों का उपभोग करती रही है, स्थानीय परंपरा और सुसंगत विधियों के अनुसार सुरक्षित और परिरक्षित करने में सक्षम है, चर्चा करना।
- गाँव में स्थानीय स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन पर विचार कर प्रस्ताव पर निर्णय।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बैठक का स्थान, दिनांक व समय तय कर हमें सूचित करवाएं।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान जिलाधिकारी, जिला.....
2. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 60 21/03/20 9:18 am

गाँव सभा द्वारा प्राकृतिक और सामुदायिक स्रोतों पर अधिकार, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव संख्या	बैठक का एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1	गाँव के सामुदायिक स्रोतों के साथ ही स्थानीय जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर परंपरागत अधिकारों का उपभोग स्थानीय गाँव समाज की परंपरा के अनुसार संरक्षण, संवर्धन व प्रबंधन पर विचार।	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम, 1999 की धारा 3 (ख) नियम 2011 के अध्याय 4 के नियम 17 (1), (2) के तहत, गाँव सभा अपनी परंपरा और सुसंगत विधियों से अपनी सीमा में पड़ने वाले जंगल की देख-रेख करना, आम लोगों की आवश्यकता, उसके उपयोग एवं उपभोग को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रबंधन व्यवस्था को सुव्यवस्थित क्रियान्वयन करने हेतु एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो निम्न है- क्र. नाम पिता पद हस्ताक्षर	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि कमेटी, नियमों का पालन करवाने तथा अपनी परंपरा के अनुसार उपयोग एवं उपभोग के नियम को प्रतिपादित करते हुए कार्य करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही हेतु अपनी रपट गाँव सभा में प्रस्तुत करेगी। गाँव सभा प्रस्तुत रपट पर विचार कर अगली बैठक में निर्णय पारित करेगी। गाँव सभा द्वारा पारित नियमों को वन विभाग तथा जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेज कर सूचित किए जाने हेतु कमेटी के अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।	

PESA_Book_LET_20.indd 61 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट IX

अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों पर नियंत्रण की शक्ति पर कार्य हेतु गाँव सभा आयोजन की सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक .....
श्रीमान सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत.....
जिला ..... राजस्थान।

विषय : गौण खनिजों पर नियंत्रण की शक्ति पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजित कर प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत..... राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ख) (झ) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 7 के नियम 27, 28 के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है जिसके कारण गाँव के गरीब आदिवासियों की आजीविका पर आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आगामी 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष गाँव सभा का आयोजन करें। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी–

- पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में राजस्व गाँव की गाँव सभा का गौण खनिजों पर नियंत्रण हो।
- राजस्व गाँव की गाँव सभा द्वारा गौण खनिजों के सम्बन्ध में किसी खनन नीलामी में रियायत की मंजूरी करना।
- गौण खनिज के पट्टे, लीज या नीलामी या पुनः नवीनीकरण करने पर निम्न स्तर से सिफारिश खनिज विभाग से प्राप्त करनी होगी, बिना सिफारिश के पट्टा, लीज, नीलामी या नवीनीकरण नहीं कर सकेंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बैठक का स्थान, दिनांक व समय तय कर हमें सूचित करवाएं।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान जनजाति आयुक्त,……..
2. श्रीमान जिलाधिकारी, जिला.....
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला.....
4. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 62 21/03/20 9:18 am

अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों पर नियंत्रण की शक्ति पर कार्य हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव संख्या	बैठक का एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1	गाँव के गौण खनिजों पर नियंत्रण पर विचार	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ख) (झ) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 7 के नियम 27, 28 के तहत गाँव सभा उपर्युक्त कार्यवाही करने में सक्षम होगी। गाँव सभा यह सुनिश्चित करेंगी कि गाँव की सीमा क्षेत्र में गौण खनिजों के लिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को गाँव सभा की आज्ञा के बिना खनन पट्टा मंजूर नहीं किया जाएगा, इस हेतु प्रस्ताव पास किया जाता है। गौण खनिज किसी एक राजस्व गाँव की सीमा में है तो उस गाँव की गाँव सभा से सिफारिश प्राप्त करना। अनुसूचित क्षेत्र में खनन का नया पट्टा जारी करना हो, लीज पर देना हो या नवीनीकरण करना हो तो खनिज अभियंता को उस खनन की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेनी होगी। प्रस्तावित खनन की विस्तृत रिपोर्ट पर गाँव सभा अपनी सिफारिश करेगी, जिसे खनिज विभाग को भेजा जाएगा। जिस पर विभाग अपनी टिप्पणी अभियंता को देगा और गाँव सभा को अवगत करवाया जाएगा।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समुदाय परंपरागत रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए गौण खनिजों पर अपने अधिकार स्थापित कर सके। गौण खनिजों का उपयोग अपने आवास निर्माण कार्य में कर सके। गाँव सभाएं गौण खनिजों के खनन सम्बन्धी सिफारिशें खनिज अभियंता को देंगी जिस पर टिप्पणी कर, सम्बन्धित विभाग को देगा।	

PESA_Book_LET_20.indd 63 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट X

अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण करने की शक्ति पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजन की सूचना का प्रारूप

सेवा में, दिनांक .....
श्रीमान सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत .....
जिला ..... राजस्थान।

विषय : कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण करने की शक्ति पर कार्य हेतु विशेष गाँव सभा आयोजित कर प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत.....राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 244 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ट) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 5 के नियम 21, 22, 23, 24 के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है जिसके कारण गाँव के गरीब आदिवासी लोगों के कर्जदार होने के साथ ही आदिवासी समाज पर आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि आगामी 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष गाँव सभा का आयोजन करें। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी–

- गाँव के कितने परिवारों द्वारा कर्ज लिया गया एवं उनके द्वारा अब तक कितना ऋण चुकाया गया है।
- गाँव में कितने लोग ब्याज पर धन देने का कार्य कर रहे हैं और क्या इन्होने इसके लिए लाइसेंस ले रखा है।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में कर्ज के लेन-देन के कारोबार पर राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 के तहत कार्यवाही।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार बैठक का स्थान, दिनांक व समय तय कर हमें सूचित करवाएं।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....
2. निजी रिकार्ड।

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 64 21/03/20 9:18 am

अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण करने की शक्ति पर कार्य हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रस्ताव संख्या	बैठक का एजेंडा	प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई	निर्णय	हस्ताक्षर
1	गाँव में कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण करने पर विचार	राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम संख्या 16) के अंतर्गत धारा 3 (ट) एवं पेसा नियम 2011 के अध्याय 5 के नियम 21, 22, 23, 24 के तहत गाँव में कर्ज पर धन देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एजेंसी प्रतिनिधि को बुलाने, परिरक्षण करने एवं उपर्युक्त कार्यवाही करने हेतु गाँव सभाएं सक्षम होगी। गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार से, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति अनियंत्रित वसूली से ग्रस्त नहीं हों, इस हेतु प्रस्ताव पारित किया जाता है। गाँव सभा यह भी सुनिश्चित करेगी की गाँव में जो व्यक्ति कर्ज के लेन-देन का कार्य कर रहा है, उसने उचित स्तर पर लाइसेंस ले रखा है। इस बात की सूचना पंचायत में देना। ऋण की निर्धारित दर 9 प्रतिशत एवं गिरवी की 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से अधिक नहीं ले रहा है। लोग समय पर अपनी देनदारी चुकाएं। आदिवासी क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज के लेन-देन के कारोबार को राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्या 1) के उपबंधों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जाता है कि गाँव सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों के किसी व्यक्ति से तय सीमा से अधिक ब्याज तो नहीं लिया जा रहा। जबरन एवं अनियंत्रित वसूली जैसे मामलों में पंचायत द्वारा लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस की शर्तों का पालन करवाना एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करना, वर्ष में एक बार हिसाब प्रस्तुती का अवलोकन करना, निरीक्षण, शिकायत निवारण की प्रक्रिया करना।	

PESA_Book_LET_20.indd 65 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट XI

ग्राम पंचायत में सरपंच/सचिव को सूचनार्थ गाँव विकास योजना बनाने का सूचना प्रपत्र का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....
श्रीमान सरपंच/सचिव,

ग्राम पंचायत .....

महोदय,

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव ..... की गाँव सभा की घोषणा दिनांक..... को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा-पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक..... को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

अब वर्ष .....के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष.....
शांति समिति

सचिव.....-
शांति समिति

PESA_Book_LET_20.indd 66 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट XII

एजेण्डा की सूचना प्रपत्र का प्रारूप-

सूचनार्थ

सेवा में, दिनांक .....
श्रीमान सरपंच/सचिव,
ग्राम पंचायत .....

महोदय,
पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव सभा..... के गाँव विकास के प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक..... को किया जायेगा, जिसमें आप की उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान ..... समय..... दिनांक.....

एजेण्डा -

1. पेंशन के सम्बध में (वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, पालनहार योजना)
2. पी.एम और सी.एम आवास निर्माण के सम्बंध में।
3. शौचालय के सम्बंध में।
4. स्कूल के सम्बंध में (अध्यापकों की नियुक्ति, कक्ष निर्माण, मरम्मत, बाउंड्री निर्माण, खेल का मैदान, शुद्ध पानी की व्यवस्था, छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग शौचालय)
5. आंगनबाड़ी के सम्बंध में।
6. स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बंध में।
7. राशन की दुकान के सम्बंध में।
8. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बंध में।
9. सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बंध में।
10. सामाजिक कुरीतियों के सम्बंध में (डायन प्रथा, बाल विवाह, मौताना, बाल श्रम)
11. तालाब मरम्मत और निर्माण के सम्बंध में।
12. रास्ता निर्माण (कच्चा/पक्का/सी.सी. रोड) के सम्बंध में।
13. खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, कुआ मरम्मत गहरीकरण, कुआ निर्माण, खेत तलावड़ी, तथा पशुबाड़ा निर्माण के सम्बंध में।
14. वृक्षारोपण के सम्बंध में।
15. हैण्डपम्प मरम्मत/नया खुदवाने के सम्बंध में।
16. उज्जवला गैस कनेक्शन के सम्बंध में।
17. एनीकट मरम्मत/नया निर्माण के सम्बंध में।
18. चेकडैम मरम्मत और नया निर्माण के सम्बंध में।
19. सिंचाई के लिये नहर/पाइप लाइन बिछाने के सम्बंध में।
20. आर.ओ. प्लांट निर्माण के सम्बंध में।

PESA_Book_LET_20.indd 67 21/03/20 9:18 am

21. शमशान घाट के सम्बंध में।
22. श्रमिक कार्ड बनवाने के सम्बंध में।
23. सामुदायिक वन दावा पत्र पेश करने के सम्बंध में।
24. काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बंध में।

प्रतिलिपी प्रेषितः-

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम.
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. आंगनबाडी कार्यकर्ता
9. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामाजिक संस्था, जो गाँव में कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष
शांति समिति
गाँववासी

सचिव
शांति समिति

1.....2.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....
15.....16.....17.....18.....19.....20.....21.....22.....23.....24.....25.....

नोट- गाँव सभा की बैठक की सूचना जो सरपंच/सचिव को जाएगी, उस सूचना पर गाँव सभा के 25 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरुरी है।

PESA_Book_LET_20.indd 68 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट XIII

गाँव सभा में प्रस्ताव लिखने व पारित करने का प्रारूप

राजस्थान पेसा अधिनियम 1999, नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक ..... को .....गाँव की गाँव सभा की बैठक ..... पर आयोजित की गयी। गाँव सभा में मौजूद गाँव वासियों ने ..... को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा-

1. पेंशन के सम्बध में (वृद्धा, विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार योजना)।
2. पी.एम. और सी.एम. आवास निर्माण के सम्बंध में।
3. शौचालय के सम्बंध में।
4. स्कूल के सम्बंध में (अध्यापकों की नियुक्ति, कक्ष निर्माण, मरम्मत, बाउंड्री निर्माण, खेल का मैदान, शुद्ध पानी की व्यवस्था, छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग शौचालय)।
5. अन्य गाँव सभा की सहमति से इत्यादि .....।

प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव जो रखे गये	प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमानित राशि	सम्बंधित विभाग	हस्ताक्षर
प्रस्ताव सं. 1	**पेंशन के सम्बध में** **अ. वृद्धा पेंशन–** नये आवेदन/बंद पेंशन चालू करवाना। (लाभार्थियों के नाम) 1. 2. 3. **ब. विधवा पेंशन–** नये आवेदन/ बंद पेंशन चालू करवाना **स. विकलांग पेंशन–** नये आवेदन/ बंद पेंशन चालू करवाना **द. एकल नारी पेंशन–** नये आवेदन/ बंद पेंशन चालू करवाना य. पालनहार - (0 से 5 और 6 से 18 वर्ष) – नये आवेदन/ बंद पेंशन चालू करवाना	प्रस्ताव क्र. 1 में प्रस्तावित वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, पालनहार, एकलनारी पेंशन के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये और निम्न लिखित लोगों को आवेदन करवाने की जिम्मेदारी दी गयी - • जीतेन्द्र/फुला जी • विनोद/कालिया जी • भरत/शिवजी • अरुण/हकरा जी • सुमन/मनु जी	वृद्धा पेंशन 750X3 =2250/- प्रतिमाह	समाज कल्याण विभाग	

PESA_Book_LET_20.indd 69 21/03/20 9:18 am

प्रस्ताव सं. 2	**पी.एम और सी.एम. आवास के सम्बंध में** नये आवेदन (लाभार्थियों के नाम) 1. 2. 3. बकाया किस्त भुगतान 1. 2. 3.	प्रस्ताव सं.2 में प्रस्तावित पीएम/ सीएम आवास के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये और निम्न लिखित लोगों को आवेदन करवाने की जिम्मेदारी दी गयी - • जीतेन्द्र/फुला जी • विनोद/कालिया जी • भरत/शिवजी • अरुण/हकरा जी • सुमन/मनु जी	148000X3 =444000/- (यहाँ उदाहरण स्वरूप तीन लोगों की राशि दी गई है।) 10500x3 = 31500/-	पंचायती राज विभाग (प्रधान मंत्री आवास योजना)	
प्रस्ताव सं. 3	**शौचालय के सम्बंध में** - नये आवेदन (लाभार्थियों के नाम) 1. 2. 3. बकाया किस्त भुगतान 1. 2. 3.	प्रस्ताव सं.3 में प्रस्तावित शौचालय के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये और निम्न लिखित लोगों को आवेदन करवाने की जिम्मेदारी दी गयी - • जीतेन्द्र/फुला जी • विनोद/कालिया जी • भरत/शिवजी • अरुण/हकरा जी • सुमन/मनु जी	12000x3 = 36000/- 12000x3 = 36000/-	पंचायती राज विभाग पंचायती राज विभाग	

PESA_Book_LET_20.indd 70 21/03/20 9:18 am

प्रस्ताव सं. 4	स्कूल के सम्बंध में (अ) अध्यापकों की नियुक्ति (ब) कक्ष निर्माण (स) मरम्मत (द) परकोटा निर्माण, खेल का मैदान (य) शुद्ध पानी की व्यवस्था (र) पुस्तक, दरी, मिड डे मिल (ल) छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग शौचालय और पानी की व्यवस्था	प्रस्ताव सं. 4 में प्रस्तावित स्कूल के सम्बंध में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।	प्रति कक्ष निर्माण 2,50,000/- मरम्मत 3,00,000/- परकोटा निर्माण 3,00,000/- मैदान समतलीकरण 2,00,000/- आर.ओ. प्लांट 1,00,000/- शौचालय और पानी की व्यवस्था 1,50,000/-	शिक्षा विभाग पंचायती राज विभाग	

गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया जाता है।
1..... 2..... 3.....
4..... 5..... 6.....

अध्यक्ष द्वारा गाँव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गाँव सभा की बैठक का समापन किया गया।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष (शांति समिति) बैठक अध्यक्ष सचिव (शांति समिति)

PESA_Book_LET_20.indd 71 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट XIV

पंचायत में प्रस्ताव जमा करने का कवरिंग लेटर (प्रपत्र) का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....
श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत .....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान राजस्थान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और राजस्थान पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3 (क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3 (ग) (।) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की गाँव सभा से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। हमने हमारी गाँव सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (प्रस्ताव संलग्न हैं) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे हैं, जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय .....
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी .....
3. श्रीमान विकास अधिकारी .....
4. निजी रिकॉर्ड

हस्ताक्षर
अध्यक्ष (शांति समिति)

हस्ताक्षर
सचिव (शांति समिति)

PESA_Book_LET_20.indd 72 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट XV

गाँव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का प्रारूप –

सेवा में, दिनांक.....
श्रीमान परियोजना निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास विभाग
जिला.....

विषय : गाँव..... में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत..... को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवंटित राशि की उपयोगिता को प्रमाणित करना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत..... के राजस्व गाँव..... में सामुदायिक भवन निर्माण किया गया है, जिसमें आवंटित राशि निम्न रही –

क्र.सं.	चरण	राशि	दिनांक
	प्रथम चरण		
	द्वितीय चरण		
	कुल		

सामुदायिक भवन की चौड़ाई X लम्बाई .....
कार्य की स्थिति .....
लाभार्थियों की संख्या.....

विभाग द्वारा आवंटित राशि निम्न मदों में व्यय की गई –
मजदूर.....
सामान.....
कुल व्यय.....

हम गाँव..... के गाँव सभा सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित कार्य को संतोषजनक तरीके से पूरा किया गया है और उक्त कार्य में खर्च मद का वर्णन हमारी जानकारी के अनुसार सही है।

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान जनजाति आयुक्त .....
2. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....
3. निजी रिकार्ड।

नोट : गाँव सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की कॉपी संलग्न है।

PESA_Book_LET_20.indd 73 21/03/20 9:18 am

परिशिष्ट XVI

गाँव सभा बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्रारूप–

दिनांक.....

गाँव....., ग्राम पंचायत.....,
जिला..... (राजस्थान)

गाँव सभा बैठक क्रमांक :.....
गाँव सभा का नाम : .....
गाँव सभा बैठक का स्थान :.....
गाँव सभा बैठक का समय : प्रातः..... बजे से दोपहर/सायं ..... बजे तक
गाँव सभा की अध्यक्षता : श्री/श्रीमती/सुश्री ..... जी ने की।
गाँव सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या : महिला....., पुरुष..... कुल .....

कार्यवाही विवरण –

क्रमांक	प्रस्ताव जो रखा गया	प्रस्ताव जो पास हुआ	निर्णय
1.			
2.			
3.			
4.			

भवदीय
गाँव सभा कमेटी /शांति समिति सदस्य एवं गाँववासी
1.....2.....3.....

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....
2. श्रीमान जनजाति आयुक्त,.....
3. निजी रिकार्ड।

PESA_Book_LET_20.indd 74 21/03/20 9:18 am

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) प्रतिबद्ध और अनुभवी लोगों का ऐसा समूह है जो स्थानीय एवं व्यापक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में प्रयत्नशील है।

इस क्रम में जीवनयापन के लिए जूझ रहे व्यक्तियों एवं समुदायों और अपनी अस्मिता को बचाए रखने तथा जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत जन समूहों की जानकारी एवं ज्ञान में बढ़ोत्तरी करना पीस का मुख्य सरोकार रहा है।

विगत कुछ वर्षों से पीस समान सोच वाले समूहों और जन संगठनों के बीच संवाद की प्रक्रिया चला कर व्यापक स्तर पर चलने वाले जन आंदोलनों और गठबंधनों की प्रक्रिया को भी मजबूत करने हेतु प्रयत्नशील है।

मौजूदा पुस्तिका की तर्ज पर ही हमने पहले भी आम जन जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शिक्षण सामग्री का निर्माण व प्रकाशन किया है। इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण सामग्री है-

- ज्ञान की पूंजी पर पूंजी का शिकंजा
- पूंजी के निशाने पर पानी
- बाजारीकरण के दस साल
- नकेल कसती जा रही है
- कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना : वन अधिकार अधिनियम 2006
- परमाणु ऊर्जा : सस्ती साफ बिजली या महाविनाश को बुलावा
- पंचायती राज और जनसहभागिता : कार्यकर्ता प्रशिक्षण (मैनुअल)
- स्थानीय कार्यकर्ता के लिए अपील हैंडबुक
- विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध जनता का घोषणा पत्र
- यहीं पर निगाहें यहीं पर निशाना : प्रस्तावित भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्तापन विधेयक 2011 का खुलासा
- जिंदगी पर मंडराते परमाणु के बादल
- आर्थिक उछाल की असलियत
- उड़ीसा के जनसंघर्ष : सबक और चुनौतियां
- हिमाचल प्रदेश के जनसंघर्ष : न्याय के लिए बढ़ते कदम
- मध्य प्रदेश के जनसंघर्ष : आजीविका का सवाल
- पूर्वाग्रह मुक्त शिक्षा और अल्पसंख्यक : शिक्षकों के लिए हैंडबुक
- भारत राष्ट्र राज्य एवं सांस्कृतिक विविधता
- उत्तर प्रदेश के आंदोलनरत किसानों पर राज्य दमन : एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट
- पेसा कानून और जनसहभागिता : कार्यकर्ता प्रशिक्षण (मैनुअल)

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)
ए-124/6, दूसरी मंजिल,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016
फोनः 011-26968121/26858940
ईमेलः peaceactdelhi@gmail.com
वेब : https://populareducation.in/